



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड I) 2017-18



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार

foùk ys[ks ([k. M I)

o"kl **2017-18** ds fy,

fcgkj I jdkj

fo"k;		i"B
[k. M I		
▪	fo"k ys[ks ij Hkkjr ds fu; akd&egkys[ki jh{k d k i ek. k i k	iii-vii
▪	fo"k ys[ks dh funf' kdk	ix - xiv
fooj.k 1	fo"kh; fLFkr dk foj.k	2-3
fooj.k 2	i kfr; ka , oa l forj. ka dk foj.k	4-6
	vupz/ d & jkM+ 'k k vj jkM+ 'k ka dk fuo k	7
fooj.k 3	ckfr; ka dk foj.k (l eedr fuf/)	8-10
fooj.k 4	0; ; dk foj.k (l eedr fuf/)	11-15
fooj.k 5	i xkeh i pthx 0; ; dk foj.k	16-20
fooj.k 6	m/kj rFk vU; nkf; Roka dk foj.k	21-22
fooj.k 7	l jdkj }kjk fn, x, ½.k rFk vfxeka dk foj.k	23-24
fooj.k 8	l jdkj ds fuo ka dk foj.k	25
fooj.k 9	l jdkj }kjk nh x; h xkjv; ka dk foj.k	26
fooj.k 10	l jdkj }kjk i nUk l gk; rk vupku dk foj.k	27-28
fooj.k 11	nUker rFk i Hkkjr 0; ; dk foj.k	29
fooj.k 12	jktLo ys[ks l s fHku 0; ; ds fy, fuf/; ka ds Lkar rFk vuqz, lx dk foj.k	30-32
fooj.k 13	l eedr fuf/] vkdfLedrk fuf/ rFk ykd ys[kk ds varx' 'k ka dk l kj	33-34
▪	ys[ks ij fVI f. k; k	35-72

[k. M II

Hkkx I विस्तृत विवरणी

fooj.k 14	y?kq 'k"kbkj jktLo , oa i pthx i kfr; ka dk foLr foj.k	74-113
fooj.k 15	y?kq 'k"kbkj jktLo 0; ; dk foLr foj.k	114-173
fooj.k 16	y?kq 'k"kbkj rFk mi 'k"kbkj i pthx 0; ; dk foLr foj.k	174-296
fooj.k 17	m/kj rFk vU; nkf; Roka dk foLr foj.k	297-312
fooj.k 18	l jdkj }kjk fn, x, ½.k rFk vfxeka dk foLr foj.k	313-355
fooj.k 19	l jdkj ds fuo ka dk foLr foj.k	356-376
fooj.k 20	l jdkj }kjk nh x; h xkjv; ka dk foLr foj.k	377-386
fooj.k 21	vkdfLedrk fuf/ , oa vU; ykd ys[kk ds l 0; ogkja dk foLr foj.k	387-397
fooj.k 22	mfí"V 'k ka ds fuo ka dk foLr foj.k	398-401

fo"k;	i"B
Hkkx II i fjf'k"V	
ifjf'k"V I oru ij rnyukRed 0; ;	404-413
ifjf'k"V II I fcl Mh ij rnyukRed 0; ;	414-418
ifjf'k"V III jkT; I jdkj }kjk fn, x, I gk; d vuqku@ gk; rk (I u.Fkkokj rFkk ;kstukokj)	419-447
ifjf'k"V IV ckg; I a ks"kr i fj; kstuk,; dk C; kjk	448-450
ifjf'k"V V Ldhe 0; ;	
d- dshh; Ldhe (dshh; ik; ktr Ldhe rFkk dshh; {ksk Ldhe)	451-469
[k- jkT; Ldhe	470-502
ifjf'k"V VI dshh; Ldhe fuf/ dk jkT; ea fØ; kflor djus okys vfHkdj. ka dks I h/s LFkkukirj.k (jkT; ctV I sckgj fuf/; ka dk ifjplyu) (vvadfs{kr vkadMg)	503-529
ifjf'k"V VII 'kska dh Lohdk; rk rFkk feyku	530-532
ifjf'k"V VIII fl pkbz ; kstukvka ds foUkh; i fj. ke	533-534
ifjf'k"V IX I jdkj dh ifrc¼rk&viwiz i pchxr dk; ka dh I pph	535-573
ifjf'k"V X oru rFkk xj&oru fgLI s ds vyxko ds I kFk vugj{k.k 0; ;	574-577
ifjf'k"V XI ctV ea i Lrkfor ubz ; kstukvka ij o"lz ds nkjku I jdkj ds eq; uhfrxr fu. kz	578-579
ifjf'k"V XII I jdkj dh ifrc¼ ns rk, a	580-581
ifjf'k"V XIII jkT; dk i pxBu& enaftI ds 'kska dk foHkktu jkT; ka ds chp vfire : lk I sugha gq/k gS	582-586

वित्त लेखे पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है। खंड I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें बिहार सरकार के नियंत्राधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणियों 8, 9, 10, 15 (अनुबंध-1), 17(ख), 17(ग), 19 और 20 और परिशिष्ट III, IV, IX, XI और XII को बिहार सरकार / निगमों / कम्पनियों / सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गयी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी संपूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपनी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2017-18 वर्ष के लिए बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं ।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गयी नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार सरकार पर मेरे वित्त, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं ।

प्रभावी तथ्य

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों/मामलों जो इन लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और संपूर्णता तथा लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:

1. राज्य सरकार के विभागों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 2,906.91 करोड़ के 1,540 संक्षिप्त आकस्मिक(ए०सी०) विपत्र आहरित किए लेकिन ₹ 2,903.61 करोड़ के 1,508 विस्तृत आकस्मिक(डी०सी०) विपत्र वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व समर्पित नहीं किए । इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 2,903.61 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रायोजन के लिए खर्च की गयी है, जिसके लिये विधायिका द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था । यह वर्ष 2017-18 में व्यय का संभवतः अतिदर्शन है ।

इसके अतिरिक्त, 2016-17 तक के ₹ 3,259.07 करोड़ के 13,706 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र भी 31 मार्च 2018 तक लंबित थे । इस प्रकार, 31 मार्च 2018 तक ₹ 6,162.68 करोड़ राशि के कुल 15,214 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र लंबित थे । अग्रिम निकालना और लेखा नहीं करना अपव्यय/दुरुपयोग/दुष्कृत्य आदि की संभावना बढ़ाता है ।


2. वर्ष 2017-18 में ₹ 14,680.40 करोड़ के 316 उपयोगिता प्रमाणपत्र देय हुए, जो 35 विभागों द्वारा दिये गये सहायता अनुदान के विरुद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकारों द्वारा समर्पित नहीं किये गये । इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 14,680.40 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रायोजन के लिए खर्च की गयी है, जिसके लिये विधायिका द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था ।

इसके अतिरिक्त, 2016-17 तक के ₹ 21,913.10 करोड़ के 2,139 उपयोगिता प्रमाणपत्र भी 31 मार्च 2018 तक लंबित थे । इस प्रकार, 31 मार्च 2018 तक ₹ 36,593.50 करोड़ राशि के कुल 2,455 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे । उपयोगिता प्रमाणपत्र में अधिक विलंब निधि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है ।

3. सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने वित्तीय वर्ष के दौरान बजटीय और वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के विरुद्ध, अनुदान की राशि रद्द होने से बचाने के लिए, 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, स्कीम की राशि ₹ 65.11 करोड़ (मुख्य शीर्ष 2029) को व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किया। पी०डी० खाते में रखी अव्ययित राशि को राज्य के संचित निधि में स्थानांतरित नहीं करना सार्वजनिक धन के अनुचित उपयोग, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है।
4. नई पेंशन योजना में 2005-06 से 2017-18 की अवधि में कुल अंशदान ₹ 3,891.21 करोड़ था जिसमें ₹ 3,762.93 करोड़ की राशि, ₹ 128.28 करोड़ शेष रखते हुए स्कीम के प्रावधानों के अनुसार नामित प्राधिकार (एन०एस०डी०एल०) को आगे निवेश हेतु हस्तांतरित की गई। इस प्रकार, वर्तमान देयता भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित की गयी है। इसके अलावे, राज्य सरकार ने एन०एस०डी०एल० को अहस्तांतरित राशि पर ब्याज देयता बनायी, अपने कर्मचारियों की निधि का त्रुटिपूर्ण उपयोग किया जो कर्मचारियों को संभवतः अनिश्चित प्रतिफल दर/सरकार की परिहार्य वित्तीय देयता को बढ़ा रही है, और इस प्रकार योजना की यह विफलता है।
5. सरकार ने 27 सार्वजनिक लोक उपक्रमों को 31 मार्च 2018 तक बकाया लेखे की अवधि में ₹ 26,640.53 करोड़ की बजटीय सहायता (इक्विटी, ऋण, अनुदान और सब्सिडी) प्रदान की और दायित्व (गारंटी) स्वीकार किया। इन सार्वजनिक लोक उपक्रमों ने कम्पनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों के अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 41 वर्ष तक के अपने लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया है। मैं, इसलिए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971, कम्पनी अधिनियम और संबंधित सांविधिक निगमों के अधिनियमों के अंतर्गत इन सार्वजनिक लोक उपक्रमों के लेखे के प्रमाणीकरण के अपने दायित्व के पालन में असमर्थ हूँ।

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपर्युक्त विषयों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों में विस्तृत किया गया है।

दिनांक: 29th July, 2019
स्थान : नई दिल्ली


(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

क. सरकारी लेखे के संरचना का वृहद् सार

1. बिहार सरकार के वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे के साथ-साथ राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लेखे में दर्ज शेषों के आधार पर परिकलित राज्य सरकार के लोक-ऋण एवं देयताओं तथा परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करता है।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग I : समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कुल राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बन्धपत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित किए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के अदायगी हेतु सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कुल राशि सम्मिलित है। इस निधि से राशि का विनियोग नहीं किया जा सकता है सिवाय विधि द्वारा स्थापित एवं भारत के संविधान द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों तथा प्रदत्त रीतियों के अनुरूप हो। निश्चित श्रेणियों के व्यय (यथा, संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण अदायगियाँ आदि) राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) पर भारित होते हैं तथा उनके लिए विधानमंडल के मत की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमंडल द्वारा मतदेय होते हैं।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं : राजस्व एवं पूँजी (लोक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)। इन्हें पुनः 'प्राप्तियाँ' तथा 'व्यय' के अंतर्गत बाँटा गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन खण्डों, यथा- 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में बाँटा गया है। इन तीन खण्डों को पुनः उप-खण्डों, जैसे- 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवायें' आदि में बाँटा गया है। पूँजी प्राप्तियाँ अनुभाग में खण्ड या उप-खण्ड नहीं होता है। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों, यथा- 'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में बाँटा गया है। राजस्व व्यय के इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों, जैसे- 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' आदि में बाँटा गया है। पूँजीगत व्यय अनुभाग को सात खण्डों, यथा- 'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें', 'लोक-ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय परिशोधन' तथा 'आकस्मिकता निधि में अंतरण' में उपविभाजित किया गया है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : यह निधि एक अग्रदाय के रूप में होती है जिसे विधायिका विधि द्वारा स्थापित करती है एवं जो अप्रत्याशित व्यय जिसका अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित होता है, के वहन के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु राज्यपाल के अधीन होता है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य के समेकित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे डालकर की जाती है। वर्ष 2017-18 के लिए बिहार सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 350 करोड़ है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार या सरकार की ओर से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर या न्यासी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में पुनर्भुगतान योग्य जैसे-अल्प बचत तथा भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। राज्य सरकार के साथ उपलब्ध निवल रोकड़ शेष को भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा में छः खण्ड शामिल हैं, यथा- 'लघु बचत', 'भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष'। इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों में उपविभाजित किया गया है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।


3. सरकारी लेखे एक छः स्तरीय वर्गीकरण के अधीन दर्शाए जाते हैं; यथा-मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (चार प्रकृति), विस्तृत शीर्ष (दो) तथा विषय शीर्ष (दो) । मुख्यशीर्ष सरकार के कार्यों को, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों को, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को, उप शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को तथा विषय शीर्ष व्यय के उद्देश्य/विषय को दर्शाते हैं ।

4. लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग पद्धति सम्मिलित है (31 मार्च 2017 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार)-

0005 से 1606	-	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	-	राजस्व व्यय
4000	-	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	-	पूँजीगत व्यय (लोक-ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)
7999	-	आकस्मिकता निधि में विनियोजन
8000	-	आकस्मिकता निधि
8001-8999	-	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों को छोड़कर) लघु शीर्ष तक के संव्यवहारों का उल्लेख करता है । वित्त लेखे में आँकड़ों को निवल स्तर पर दर्शाया जाता है अर्थात्, वसूलियों के लिए व्यय में कटौती के रूप में लेखांकन के बाद । यह प्रक्रिया विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत अनुदानों के लिए मांग में तथा विनियोग लेखे में वर्णन से भिन्न है, जहाँ व्यय को सकल रूप में दर्शाया जाता है ।

6. लेखे की संरचना का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है :



ख. वित्त लेखे में क्या सन्निहित होते हैं

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं ।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की निर्देशिका, 13 विवरणियाँ जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं संव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना प्रदान करते हैं, लेखे पर टिप्पणियाँ तथा लेखे पर टिप्पणियों का एक परिशिष्ट सन्निहित होता है । **खण्ड I** में 13 विवरणियों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण** : यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलित करते हुए दर्शाता है ।
2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण** : यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा- समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूचि शामिल होता है । परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है ।
3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)** : इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है । यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि)** : वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यावहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है । यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।
5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण** : यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है ।
6. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण** : सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं । 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि, 'आरक्षित निधि' तथा 'जमा' सम्मिलित होते हैं । इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होता है और यह वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है ।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण** : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे-सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल ऋण तथा अग्रिमों को दर्शाता है । यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होता है ।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण** : यह विवरणी राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है । यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होता है ।
9. **सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण** : यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है । यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होता है ।

10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे- सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है । परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है ।
11. **दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है ।
12. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए ।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार :** यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है । यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होता है ।

वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं- भाग- I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें ।

खण्ड II का भाग-I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है ।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के स्कीम (राज्य स्कीम, राज्य स्कीम को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है । प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग-अलग दर्शाए जाते हैं ।
16. **लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के स्कीम (राज्य स्कीम, राज्य स्कीम को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है । पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाता है ।
17. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है । यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात् प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतान राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करता है ।
18. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होता है ।

19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण ईकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होता है।
20. **सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का ईकाई वार विवरण प्रस्तुत करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होता है।
21. **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए शेषों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।
22. **उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग-II में 13 परिशिष्ट होते हैं जिसमें विभिन्न विषयों वेतन, सब्सिडी, सहायता अनुदान, बाह्य संपोषित परियोजनाएँ, मुख्य केन्द्रीय स्कीमों एवं राज्य स्कीमों से संबंधित सकीमवार व्यय आदि सम्मिलित होता है। लेखे में इनके ब्यारे को उपशीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु शीर्ष से नीचे) तक दर्शाया जाता है और प्रायः इन्हें वित्त लेखे में दर्शाए नहीं जाते हैं। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I या II में 'विषय सूची' पर दृष्टिगोचर होता है। परिशिष्टों सहित विवरणियों का पठन, राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति का पूर्ण तस्वीर प्रदान करता है।

ग. सहज तालिका

निम्न अनुभाग खण्ड I में दर्शाए गए संक्षिप्त विवरणियों को खण्ड II में विस्तृत विवरणियों तथा परिशिष्टों के साथ जोड़ता है। (उन परिशिष्टों को जिनका संक्षिप्त विवरणियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, नीचे नहीं दिखाए गए है) :

मानदण्ड	संक्षिप्त विवरण (खण्ड-I)	विस्तृत विवरण (खण्ड-II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुदान प्राप्ति सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	-
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (सब्सिडी)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2,10	-	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिये गए ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	-
ऋण की स्थिति/उधार	1, 2, 6	17	-
सरकार द्वारा कम्पनियों एवं निगमों में निवेश आदि	8	19	-
रोकड़	1, 2, 12, 13	-	-
लोक लेखा शेष एवं तत्संबंधी निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	-
गारंटियाँ	9	20	-
योजनाएँ	-	-	IV (बाह्य संपोषित परियोजनाएँ) V (स्कीम व्यय)

घ. आवर्ती समायोजन तथा पुस्त समायोजन

कतिपय संव्यवहार जो लेखे में दृष्टिगोचर होते हैं, लेखांकन के समय रोकड़ वास्तविक लेन-देन में सम्मिलित नहीं होते हैं। इनमें से कुछ संव्यवहार स्वयं लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों (जैसे-कोषागारों, प्रमण्डलों आदि) में घटित होते हैं। उदाहरणार्थ, वेतन से सभी कटौतियों के समायोजन से संबंधित संव्यवहारों (सामान्य भविष्य निधि, दिए गए अग्रिमों की वसूलियाँ आदि) को कार्यात्मक मुख्य शीर्षों (उस विभाग से संबंधित) के नामे डालकर राजस्व/कर्ज/लोक लेखा प्राप्तियों को पुस्त समायोजनों द्वारा अभिलेखित करते हैं। इसी प्रकार 'शून्य विपत्र' जहाँ धन का अंतरण समेकित निधि एवं लोक लेखा के बीच होता है, लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों के स्तर पर होने वाले गैर-रोकड़ संव्यवहारों को दर्शाता है।

इसके अलावे, महालेखाकार (लेखा एवं हक०) द्वारा राज्य सरकार के लेखे में निम्न प्रकार के आवर्ती समायोजनों एवं पुस्त समायोजनों को जिनका विस्तृत वर्णन लेखे पर टिप्पणियों के अनुबंध (खण्ड I) तथा संबंधित विवरणियों के पाद टिप्पणियों में दर्शाए जाते हैं, को पूर्ण किया जाता है।

आवर्ती समायोजनों तथा पुस्त समायोजनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

- (1) निधियों का सृजन/समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निधियों के अंशदान का समायोजन, जैसे-राज्य आपदा रिस्पॉंस निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि आदि।
- (2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में लेखे के जमा शीर्षों को जमा करना।
- (3) राज्य सरकार समूह बीमा योजना तथा सामान्य भविष्य निधि (जी०पी०एफ०) पर ब्याज का वार्षिक समायोजन, जहाँ सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज को नामे कर के तथा मुख्य शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि एवं मुख्य शीर्ष 8011-बीमा तथा पेंशन निधि को जमा करके किया जाता है।
- (4) भारत सरकार के योजना के अधीन कर्ज माफी समायोजन केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुशंसाओं पर आधारित है। इस प्रकार के समायोजन (जहाँ केन्द्रीय कर्जों को मुख्य शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवायें को जमा करके मुख्य शीर्ष 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम में प्रति इन्द्राज करते हुए) राजस्व प्राप्तियों एवं लोक ऋण शीर्ष दोनों को प्रभावित करता है।

ङ पूर्णन

वित्त लेखे खण्ड I एवं II में जहाँ कहीं ₹ 0.01 करोड़/लाख का अंतर है, पूर्णन के कारण है।

संक्षिप्त विवरणी

विवरण 1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(` करोड़ में)

परिसंपत्तियाँ	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
रोकड़			22,081.56	17,062.20
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष		21	185.73	185.60
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	341.97	342.26
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	17,395.63	13,001.71
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		21	46.90	114.90
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश ²		22	4,111.33	3,417.73
पूँजीगत व्यय		16	1,84,117.17	1,55,210.22
(i) कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश		8	23,037.29	15,916.47
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय			1,61,079.88	1,39,293.75
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)			0.00	0.00
कर्ज तथा उधार		18	21,169.18	20,948.29
सिविल अग्रिम		21	153.11	151.39
उचंत तथा विविध शेष ³		21	4,379.57	4,959.36
प्रेषण शेष		21	1,196.41	1,193.65
प्राप्तियों से व्यय का संचयी अधिकाई ⁴			0.00	0.00
जोड़			2,33,097.00	1,99,525.11

¹ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के ऑकड़ें संचयी हैं। कृपया "लेखे पर टिप्पणियाँ" अनुभाग में टिप्पणी 1(ii) भी देखी जाय।

² उद्दिष्ट निधियों से निवेश पूँजीगत व्यय में शामिल नहीं हैं।

³ इस विवरण के पंक्ति मद 'उचंत तथा विविध शेष' में मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखा के अंतर्गत ` 4,379.07 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 8679 -अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे के अंतर्गत ` 0.50 करोड़ शामिल है।

⁴ व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई या प्राप्तियों से व्यय की संचयी अधिकाई एक दूसरे से भिन्न है और वर्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व हानि नहीं है।

विवरण 1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(` करोड़ में)

देयतायें	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
उधार (लोक लेखा)			1,14,706.68	1,06,190.81
(i) आंतरिक लेखा		17	1,04,524.76	96,595.00
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		17	10,181.92	9,595.81
योजनेतर कर्ज		17	0.58	54.02
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		17	191.29	9,493.38
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		17	1.01	1.01
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कर्ज		17	0.53	0.53
केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए कर्ज		17	57.74	0.00
अन्य कर्ज		17	9,930.77	46.87
अन्तर्राज्यीय परिशोधन		12	74.01	74.01
आकस्मिकता निधि (संग्रह)		21	350.00	350.00
लोक लेखा पर देयताएं			46,181.42	35,948.41
(i) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि		21	8,810.89	8,891.14
(ii) जमा		21	33,232.88	22,916.84
(iii) आरक्षित निधि		21	4,137.65	4,140.43
(iv) प्रेषण शेष			0.00	0.00
(v) उचत तथा विविध शेष			0.00	0.00
व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई⁵		12	71,784.89	56,961.88
जोड़			2,33,097.00	1,99,525.11

⁵ आँकड़ा ` 71,784.89 करोड़, कुल पूँजीगत तथा अन्य व्यय और निधियों के प्रमुख स्रोतों का निवल परिणाम है। विस्तृत ब्यौरा विवरणी 12 में दिया गया है।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं सवितरणों का विवरण

(` करोड़ में)

प्राप्तियाँ		सवितरण			
	2017-18	2016-17		2017-18	2016-17
भाग-I समेकित निधि					
अनुभाग-अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	1,17,446.74	1,05,584.99	राजस्व व्यय (संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	1,02,623.73	94,765.18
कर राजस्व (राज्य द्वारा अधिरोपित) (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	23,136.49	23,742.26	वेतन¹ (संदर्भ. विवरण 4-ख एवं परिशिष्ट-1)	17,731.41	15,743.85
करेतर राजस्व (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	3,506.74	2,403.12	सहायता अनुदान² (संदर्भ. विवरण 4-ख, 10 एवं परिशिष्ट-III)	43,358.73	36,209.34
			सब्सिडी (संदर्भ. परिशिष्ट-11)	5,023.06	8,749.41
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	1,577.24	939.91	सामान्य सेवाएं (संदर्भ. विवरण 4 एवं 15)	25,892.99	23,856.21
अन्य (संदर्भ. विवरण 3)	1,929.50	1,463.21	पेंशन (संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	14,293.48	12,507.99
			ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवा (संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	9,747.40	8,773.56
			अन्य (संदर्भ. विवरण 4-ख)	1,852.11	2,574.66
संघीय कर/शुल्क में हिस्सा (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	65,083.38	58,880.59	सामाजिक सेवाएं (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)	3,622.57	6,070.83
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)	6,990.94	4,131.24
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	25,720.13	20,559.02	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन³ (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)	4.03	4.30
राजस्व घाटा	0.00	0.00	राजस्व आधिव्य	14,823.01	10,819.81

¹ एक समेकित आँकड़ा के रूप में प्रदर्शित करने के लिए व्यय शीर्ष (लेखा) के सभी प्रभागों के वेतन, सब्सिडी तथा सहायता अनुदान संबंधी आँकड़ों को जोड़ दिया गया है। इस विवरणों में दर्शाये गये 'सामान्य', 'सामाजिक' तथा 'आर्थिक सेवाओं' के प्रभागाधीन व्यय के अन्तर्गत वेतन, सब्सिडी तथा सहायता अनुदान सम्मिलित नहीं हैं (पाद टिप्पणी-2 में व्याख्यायित)।

² राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान दिया जाता है, जिसे ऊपर एक पंक्ति मद के रूप में दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले शुल्क, करों के क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन से भिन्न है जिसे "स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" के रूप में अलग से पंक्ति मद में दिखलाया गया है।

³ मुख्य शीर्ष 3604 के अंतर्गत लेखांकित राशि।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं सवितरणों का विवरण

(` करोड़ में)

प्राप्तियाँ		सवितरण			
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	
अनुभाग-ब : पूँजीगत					
पूँजीगत प्राप्तियाँ (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय (संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)	28,906.95	27,208.40
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)	2,764.61	2,090.35
			सामाजिक सेवाएं ⁴ (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)	4,258.34	3,592.49
			आर्थिक सेवाएं ⁵ (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)	21,884.00	21,525.56
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ (संदर्भ. विवरण 3, 7 एवं 18)	21.89	23.31	सवितरित ऋण तथा अग्रिमों (संदर्भ. विवरण 4-क, 7 एवं 18)	242.78	113.87
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ. विवरण 4-क, 7 एवं 18)	0.00	0.00
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ. विवरण 4-क, 7 एवं 18)	0.00	0.00
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ. विवरण 4-क, 7 एवं 18)	224.55	92.49
			अन्य (संदर्भ. विवरण 7)	18.23	21.38
लोक ऋण प्राप्तियाँ (संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)	13,169.42	21,576.76	लोक ऋण की वापसी (संदर्भ. विवरण 4-क, 6 एवं 17)	4,653.55	4,214.57
आंतरिक ऋण ⁶ (बाजार ऋण, एन०एस०एस०एफ० आदि) (संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)	11,770.77	20,065.17	आंतरिक ऋण ⁶ (बाजार ऋण, एन०एस०एस०एफ० आदि) (संदर्भ. विवरण 4-क, 6 एवं 17)	3,841.01	3,460.49
भारत सरकार से कर्ज (संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)	1,398.65	1,511.59	भारत सरकार से कर्ज (संदर्भ. विवरण 4-क, 6 एवं 17)	812.54	754.08
अन्तर्राज्यीय निपटान लेखा (निवल)	0.00	0.00	अन्तर्राज्यीय निपटान लेखा (निवल)	0.00	0.00
समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (संदर्भ. विवरण 3)	1,30,638.05	1,27,185.06	समेकित निधि से कुल व्यय (संदर्भ. विवरण 4)	1,36,427.01	1,26,302.02
समेकित निधि में घाटा	(-)5,788.96	0.00	समेकित निधि में आधिक्य	0.00	883.04

⁴ वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए सामाजिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4215 से संबंधित वेतनादि पर व्यय 0e'%' 4.76 करोड़ एवं ` 5.96 करोड़ सन्निहित है।

⁵ वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए आर्थिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515 से संबंधित वेतनादि पर व्यय 0e'%' 35.43 करोड़ एवं ` 41.37 करोड़ सन्निहित है।

⁶ पुनर्भुगतान से संबंधित राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन०एस०एस०एफ०) के लेन-देनों की राशि क्रमशः वर्ष 2016-17 में ` 1,713.12 करोड़ एवं 2017-18 के लिए ` 1,768.75 करोड़ का पुनर्भुगतान भी शामिल है।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं सवितरणों का विवरण

(` करोड़ में)

प्राप्तियाँ			सवितरण		
	2017-18	2016-17		2017-18	2016-17
भाग - II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (संदर्भ. विवरण 21)	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि (संदर्भ. विवरण 21)	0.00	0.00
भाग - III लोक लेखा ⁷					
अल्प बचत (संदर्भ. विवरण 21)	1,844.09	1,263.08	अल्प बचत (संदर्भ. विवरण 21)	1,924.34	1,163.45
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ (संदर्भ. विवरण 21)	1,414.92	1,074.89	आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ (संदर्भ. विवरण 21)	2,111.31	1,786.92
जमा (संदर्भ. विवरण 21)	42,984.01	48,930.46	जमा (संदर्भ. विवरण 21)	32,667.97	43,536.35
अग्रिम (संदर्भ. विवरण 21)	195.91	265.56	अग्रिम (संदर्भ. विवरण 21)	197.63	266.26
उचंत तथा विविध ⁸ (संदर्भ. विवरण 21)	3,88,812.38	3,93,301.10	उचंत तथा विविध ⁸ (संदर्भ. विवरण 21)	3,92,626.33	3,98,967.75
प्रेषण (संदर्भ. विवरण 21)	9,862.58	9,536.13	प्रेषण (संदर्भ. विवरण 21)	9,865.34	9,543.18
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा (संदर्भ. विवरण 21)	4,45,113.89	4,54,371.22	कुल व्यय लोक लेखा (संदर्भ. विवरण 21)	4,39,392.92	4,55,263.91
लोक लेखा में घाटा	0.00	892.69	लोक लेखा में अधिशेष	5,720.97	0.00
आदि रोकड़ शेष	114.90	124.56	अंत रोकड़ शेष	46.90	114.90
रोकड़ में वृद्धि	0.00	0.00	रोकड़ में कमी	68.00	9.66

⁷ कृपया विस्तृत सूचना के लिए भाग II के विवरणी 21 का संदर्भ लें।

⁸ 'उचंत एवं विविध' में 'अन्य लेखे' शामिल हैं, यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) आदि। इन 'अन्य लेखे' के कारण आँकड़े वृहद रूप में प्रकट होते हैं। विस्तृत विवरण खण्ड II के विवरणी 21 में देखी जा सकती है।

विवरण 2 का अनुबंध क
रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)		
	31 मार्च 2018 को अन्तशेष	1 अप्रैल 2017 को आदिशेष
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) रिजर्व बैंक के पास जमा	46.90	114.90
(2) रोकड़ शेष निवेश लेखा में हुए निवेश	17,395.63	13,001.71
जोड़- (क)	17,442.53	13,116.61
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा वन विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	185.73	185.60
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	341.97	342.26
(3) उद्दिष्ट निधियों का निवेश	4,111.33	3,417.73
जोड़- (ख)	4,639.03	3,945.59
जोड़- (क) और (ख)	22,081.56	17,062.20

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- 1. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य:-** रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत कोषागार में रोकड़ एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों के पास जमा तथा पारगमन में प्रेषण सम्मिलित है, जैसा पिछले पृष्ठ पर बताया गया है। 'रिजर्व बैंक के पास जमा शीर्ष' के अन्तर्गत शेष वित्तीय वर्ष के अन्त में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संयुक्त शेष को चित्रित करता है। समस्त रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषागारों, विभागों में रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष में से निवेश/आरक्षित निधि आदि 'रिजर्व बैंक में जमा' में जोड़कर की गई हैं।

'रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत शेष उस शेष का द्योतक है जो 11 अप्रैल 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गये अन्तर्राज्यीय मुद्रा निपटारे को लेखा में शामिल कर लेने के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 सरकारी लेखा के अनुसार निकलता है।

'रिजर्व बैंक में जमा' लेखे में प्रदर्शित राशि {₹ 46.90 करोड़ (नामे)} एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित राशि {₹ 92.16 करोड़ (जमा)} के बीच ₹ 45.26 करोड़ (जमा) का अन्तर था। यह अन्तर समाधान के अधीन है।

- 2. दैनिक रोकड़ शेष:-** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अन्तर्गत राज्य सरकार को बैंक के पास ₹ 1.73 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। जब रोकड़ शेष करार के इस न्यूनतम शेष से किसी दिन कम पड़ जाता है तब इस कमी को समय-समय पर सामान्य एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट से पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट प्रदान किये जाने के उद्देश्य के लिए दैनिक रोकड़ शेष की गणना रिजर्व बैंक के द्वारा 14 दिवसीय कोषागार विपत्र के साथ सूचित लेन-देन (एजेंसी बैंकों के द्वारा सूचित रिजर्व बैंक के काउन्टर पर अन्तर्राज्यीय लेन-देन एवं कोषागार लेन-देन) के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष को 14 दिवसीय कोषागार विपत्र, यदि कोई हो, के परिपक्व मूल्य जोड़ने के बाद, अधिक शेष, यदि कोई हो न्यूनतम रोकड़ शेष के संधारण के पश्चात् कोषागार विपत्र में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि इस प्रकार प्राप्त निवल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम हो अथवा जमा शेष हो एवं उस दिन को परिपक्व कोई 14 दिवसीय कोषागार विपत्र न हो तो रिजर्व बैंक पुनः 14 दिवसीय कोषागार विपत्र को बट्टे पर जारी कर इस कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन के लिए कोई 14 दिवसीय कोषागार विपत्र न हो तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट हेतु आवेदन करती है।

- 3. अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं:-** राज्य सरकार के लिए 1 अप्रैल 2006 से ₹ 425.00 करोड़ के साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा है। सरकार के प्रतिभूतियों के विरूद्ध विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को देने के संबंध में बैंक ने भी सहमति दी है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की निर्धारित सीमा को बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में न्यूनतम शेष बिना कोई अग्रिम लिए बरकरार रखा गया।

- 4. रोकड़ शेष में से ₹ 17,395.63 करोड़ का निवेश किया गया,** जिसमें 31 मार्च 2018 को भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (₹ 17,390.98 करोड़) और अन्य राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ (₹ 4.65 करोड़) है। रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गये निवेशों पर वर्ष के दौरान ₹ 799.82 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ।

- 5. राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया गया।**

- 6. उद्दिष्ट निधियों में से किये गये निवेशों का ब्योरा खण्ड II में विवरण संख्या 22 में दिया गया है।**

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

विवरण		वास्तविकी	
		2017-18	2016-17
	1-कर तथा करेतर राजस्व		
क.	कर राजस्व		
क. 1	स्वकर राजस्व	23,136.49	23,742.26
	बिक्री व्यापार आदि पर कर	8,298.10	11,873.51
	राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी)	6,746.96	0.00
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,725.66	2,981.95
	माल तथा यात्री कर	1,644.85	6,245.62
	वाहन कर	1,599.51	1,256.67
	भू-राजस्व	778.65	971.12
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	86.52	78.75
	राज्य उत्पाद शुल्क	(-3.43)	29.66
	अन्य	259.67	304.98
क. 2	करों के निवल आगमों का हिस्सा	65,083.38	58,880.59
	निगम कर	19,935.56	18,889.20
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	16,834.16	13,128.06
	सेवा कर	7,379.29	9,416.01
	संघ उत्पाद शुल्क	6,867.50	9,278.51
	एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी)	6,572.00	0.00
	सीमा शुल्क	6,570.00	8,125.40
	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी)	925.48	0.00
	धन कर	(-0.60)	43.24
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	(-0.01)	0.17
	जोड़ - क	88,219.87	82,622.85
ख.	करेतर राजस्व		
	ब्याज प्राप्तियाँ	1,577.24	939.91
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,082.67	997.60
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियाँ	202.53	14.94
	लोक सेवा आयोग	130.11	16.31
	पुलिस	86.04	42.16
	सड़क तथा सेतु	66.74	41.93
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	54.53	39.94
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	48.61	35.66
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	29.41	27.69
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	25.84	99.88
	मुख्य सिंचाई	22.22	13.69
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	21.47	17.09
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	18.40	15.69
	मध्यम सिंचाई	17.27	11.65
	श्रम तथा रोजगार	16.79	11.41
	जलापूर्ति तथा सफाई	16.63	3.46
	जेल	15.94	10.35
	मत्स्य पालन	12.02	10.42
	फसल कृषि-कर्म	11.93	14.38
	लोक निर्माण कार्य	9.83	8.35

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(करोड़ में)

विवरण		वास्तविकी		
		2017-18	2016-17	
ख.	सहकारिता	8.62	6.80	
	शहरी विकास	7.43	0.71	
	आवास	6.57	2.45	
	लघु सिंचाई	5.21	2.89	
	नागर विमानन	4.12	4.03	
	विविध सामान्य सेवाएं	3.45	6.30	
	पर्यटन	1.62	1.57	
	लाभांश तथा लाभ	1.34	3.73	
	पशुपालन	0.76	0.80	
	सूचना तथा प्रचार	0.40	0.29	
	भूमि सुधार	0.22	0.18	
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.17	0.21	
	सड़क परिवहन	0.17	0.19	
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0.12	0.26	
	उद्योग	0.12	0.09	
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	0.07	0.04	
	सिविल पूर्ति	0.05	0.07	
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.05	0.00	
	परिवार कल्याण	0.02	0.00	
	डेरी विकास	0.01	0.00	
अंतर्देशीय जल परिवहन	0.00	0.00		
जोड़ - ख		3,506.74	2,403.12	
II- भारत सरकार से अनुदान				
ग.	अनुदान			
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान			
	योजनेतर अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	0.00	3,598.15
		राज्य आपदा रिस्पॉस निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	0.00	369.00
		अन्य अनुदान	(-)5.00	538.36
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	एकमुश्त (ब्लॉक) अनुदान (ई०ए०पी०)	0.00	59.25
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	0.00	169.70
		अन्य अनुदान	(-)2.20	13,723.97
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		0.00	1,422.91
	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		(-)1.00	677.68
	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान		13,312.26	0.00
	वित्त आयोग अनुदान	राज्य आपदा रिस्पॉस निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	489.56	0.00
		अन्य अनुदान	4,035.50	0.00

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

विवरण		वास्तविकी		
		2017-18	2016-17	
ग.	राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	20.81	0.00
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	25.20	0.00
		अन्य अनुदान	7,845.00	0.00
		जोड़ - ग	25,720.13	20,559.02
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)		1,17,446.74	1,05,584.99	
III- पूँजीगत, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ				
घ.	पूँजीगत प्राप्तियाँ			
	विनिवेश से प्राप्तियाँ		0.00	0.00
	अन्य		0.00	0.00
जोड़ - घ		0.00	0.00	
ड.	लोक ऋण प्राप्तियाँ			
	आंतरिक ऋण		11,770.77	20,065.17
		बाजार कर्ज	10,000.00	17,700.00
		आर०बी०आई० से डब्ल्यू०एम०ए० ¹	0.00	0.00
		बंध पत्र	0.00	777.26
		वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	1,770.77	1,587.91
		राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
		अन्य कर्ज	0.00	0.00
		केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		1,398.65
		योजनेतर कर्ज	0.00	4.21
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	1,507.38
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	7.19	0.00
		राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	1,391.46	0.00
जाड़ - ड		13,169.42	21,576.76	
च.	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (वसूलियाँ) ²		21.89	23.31
छ.	अंतर्राज्यीय परिशोधन		0.00	0.00
समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ³ (क+ख+ग+घ+ड+च+छ)		1,30,638.05	1,27,185.06	

¹ डब्ल्यू०एम०ए०: अर्थोपाय अग्रिम

² विस्तृत ब्यौरे खण्ड I के विवरण 7 तथा खण्ड II के विवरण 18 में हैं ।

³ विस्तृत ब्यौरे खण्ड I के विवरण 7 तथा खण्ड II के विवरण 14 तथा 17 में हैं ।

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क - प्रयोजनवार व्यय

(` करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	जोड़
क सामान्य सेवाएं				
क.1 राज्य के अंग				
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	154.11	0.00	0.00	154.11
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	14.13	0.00	0.00	14.13
मंत्रिपरिषद्	20.71	0.00	0.00	20.71
न्याय प्रशासन	805.05	0.00	0.00	805.05
निर्वाचन	99.37	0.00	0.00	99.37
क.2 राजकोषीय सेवाएं				
भू-राजस्व	510.02	0.00	0.00	510.02
स्टाम्प तथा पंजीकरण	53.85	0.00	0.00	53.85
राज्य उत्पाद शुल्क	82.44	0.00	0.00	82.44
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	72.30	0.00	0.00	72.30
वाहन कर	61.62	0.00	0.00	61.62
राज्य वस्तु और सेवा कर अंतर्गत संग्रहण प्रभार	71.95	0.00	0.00	71.95
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.09	0.00	0.00	1.09
अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.66	1.53	0.00	4.19
ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	693.62	0.00	0.00	693.62
ब्याज अदायगियाँ	9,053.78	0.00	0.00	9,053.78
क.3 प्रशासनिक सेवाएं				
लोक सेवा आयोग	3.92	0.00	0.00	3.92
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	217.43	0.00	0.00	217.43
जिला प्रशासन	421.56	0.00	0.00	421.56
खजाना तथा लेखा प्रशासन	74.01	0.00	0.00	74.01
पुलिस	5,736.99	269.43	0.00	6,006.42
जेल	298.25	0.00	0.00	298.25
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	15.73	0.00	0.00	15.73
लोक निर्माण कार्य	493.65	1,665.26	0.00	2,158.91
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	484.97	828.39	0.00	1,313.36
क.4 पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं				
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	14,293.48	0.00	0.00	14,293.48
विविध सामान्य सेवाएं	(-)362.39 ¹	0.00	0.00	(-)362.39
जोड़ - सामान्य सेवाएं	33,374.30	2,764.61	0.00	36,138.91
ख सामाजिक सेवाएं				
ख.1 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति				
सामान्य शिक्षा #	23,068.69	1,518.70	0.00	24,587.39
तकनीकी शिक्षा	155.17	0.00	0.00	155.17
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	52.18	0.00	0.00	52.18
कला तथा संस्कृति	38.56	0.00	0.00	38.56

¹ ऋणात्मक आंकड़े अधिक भूगतान की वसूलियों के कारण हैं।

सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेलकूद तथा युवा सेवाएं और कला तथा संस्कृति के लिए राजस्व व्यय हेतु अलग-अलग मुख्य शीर्ष है, किन्तु पूँजीगत परिव्यय के लिए ऊपर लिखित राजस्व व्यय मुख्य शीर्षों के लिए एक ही मुख्य शीर्ष है। अतएव उक्त सभी कार्यकारी मुख्य शीर्षों से संबंधित व्यय को कुल राशि को एक ही पूँजीगत मुख्य शीर्ष (4202) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क - प्रयोजनवार व्यय

(` करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	जोड़
ख.2 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5,064.17	564.96	0.00	5,629.13
परिवार कल्याण	552.40	0.00	0.00	552.40
ख.3 जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास				
जलापूर्ति तथा सफाई	2,338.36	1,763.58	0.00	4,101.94
आवास	944.45	168.96	0.00	1,113.41
शहरी विकास	2,393.47	0.00	0.00	2,393.47
ख.4 सूचना तथा प्रसारण				
सूचना तथा प्रचार	130.82	0.00	0.00	130.82
ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	950.60	30.10	0.00	980.70
ख.6 श्रमिक तथा श्रम कल्याण				
श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	320.40	0.00	0.00	320.40
ख.7 समाज कल्याण तथा पोषण				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,013.15	103.75	0.00	5,116.90
पोषण	1,203.11	0.00	0.00	1,203.11
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	3,468.96	0.00	0.00	3,468.96
ख.8 अन्य				
अन्य सामाजिक सेवाएं	7.76	108.29	0.00	116.05
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	67.22	0.00	0.00	67.22
जोड़ - सामाजिक सेवाएं	45,769.47	4,258.34	0.00	50,027.81
ग आर्थिक सेवाएं				
ग.1 कृषि तथा संबद्ध कार्यक्रम				
फसल कृषि-कर्म	1,570.63	55.65	0.12	1,626.40
मृदा तथा जल संरक्षण	68.68	0.00	0.00	68.68
पशुपालन	382.64	0.00	0.00	382.64
डेरी विकास	107.94	0.00	0.00	107.94
मछली पालन	47.88	0.00	0.05	47.93
वानिकी तथा वन्य प्राणी	253.35	9.37	0.03	262.75
खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	598.93	(-)1.38 ¹	0.00	597.55
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	340.12	0.00	0.00	340.12
सहकारिता	241.26	134.50	0.00	375.76
अन्य कृषि कार्यक्रम	14.16	0.00	0.00	14.16
ग.2 ग्राम विकास				
ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	743.48	0.00	0.00	743.48
ग्राम रोजगार	1,078.53	0.00	0.00	1,078.53
भूमि सुधार	2.65	0.00	0.00	2.65
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	9,387.56	6,387.66	0.00	15,775.22

¹ ऋणात्मक आंकड़े अधिक भूगतान की वसूलियों के कारण हैं

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क - प्रयोजनवार व्यय

(` करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	जोड़
ग.3 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
मुख्य सिंचाई	500.83	1,248.29	0.00	1,749.12
मध्यम सिंचाई	(-0.04) ¹	(-0.02) ¹	0.00	(-0.06)
लघु सिंचाई	291.27	129.72	0.00	420.99
कमान क्षेत्र विकास	121.62	0.00	0.00	121.62
बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	387.48	1,287.50	0.00	1,674.98
ग.4 ऊर्जा				
बिजली	4,372.08	6,931.11	224.35	11,527.54
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	(-67.42) ¹	0.00	0.00	(-67.42)
ग.5 उद्योग तथा खनिज				
ग्रामीण तथा लघु उद्योग	123.33	10.44	0.00	133.77
उद्योग	632.16	0.00	0.00	632.16
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0.43	20.00	0.00	20.43
दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	0.00	79.56	0.00	79.56
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	0.00	0.48	0.00	0.48
ग.6 परिवहन				
नागर विमानन	3.06	26.26	0.00	29.32
सड़क तथा सेतु	1,397.73	5,372.65	0.00	6,770.38
सड़क परिवहन	0.60	3.53	0.00	4.13
अन्य परिवहन सेवाएं	0.41	0.00	0.00	0.41
ग.7 सामान्य आर्थिक सेवाएं				
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	136.62	0.00	0.00	136.62
पर्यटन	64.11	76.18	0.00	140.29
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	76.12	0.00	0.00	76.12
सिविल आपूर्ति	585.54	0.00	0.00	585.54
सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूँजीगत व्यय	0.00	108.00	0.00	108.00
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	12.19	4.50	0.00	16.69
जोड़ - आर्थिक सेवाएं	23,475.93	21,884.00	224.55	45,584.48
घ सहायता अनुदान तथा अंशदान				
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	4.03	0.00	0.00	4.03
ङ लोक ऋण				
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	0.00	3,841.01	0.00	3,841.01
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0.00	812.54	0.00	812.54
च ऋण तथा अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	0.00	0.00	18.23	18.23
जोड़ - सहायता अनुदान तथा अंशदान, लोक ऋण एवं कर्ज तथा पेशगियाँ	4.03	4,653.55	18.23	4,675.81
छ अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ - समेकित निधि व्यय	1,02,623.73	33,560.50	242.78	1,36,427.01

¹ ऋणात्मक आंकड़े अधिक भूगतान की वसूलियों के कारण हैं

विवरण 4: व्यय का विवरण

ख- प्रकृतिवार व्यय

क्रम सं०	विषयवार व्यय	2017-18		
		राजस्व	पूँजी	जोड़
1	सहायक अनुदान	43,358.73	0.00	43,358.73
2	निर्माण (मुख्य कार्य)	13.28	20,865.81	20,879.09
3	वेतन	17,731.41	47.33 \$	17,778.74
4	पेंशन	14,299.89	0.00	14,299.89
5	ब्याज	9,140.88	0.00	9,140.88
6	निवेश	0.00	7,120.82	7,120.82
7	सब्सिडी	5,023.06	0.00	5,023.06
8	ऋण की वापसी	0.00	4,653.55	4,653.55
9	लघु कार्य	3,007.60	134.82	3,142.42
10	छात्रवृत्ति	2,446.16	0.00	2,446.16
11	सामग्री तथा आपूर्ति	1,952.97	2.69	1,955.66
12	वाणिज्यिक तथा विशेष सेवायें	1,939.52	0.85 \$	1,940.37
13	कार्यालय व्यय	1,026.83	2.22 \$	1,029.05
14	मशीनरी तथा उपस्कर	321.50	423.62	745.12
15	मजदूरी	668.43	0.00	668.43
16	ऋण तथा अग्रिम	0.00	242.78	242.78
17	यात्रा व्यय	159.49	0.17 \$	159.66
18	प्रकाशन तथा प्रचार	144.30	0.00	144.30
19	अन्य प्रशासनिक व्यय	95.66	0.00	95.66
20	पोशाक एवं परिधान	64.04	0.09 \$	64.13
21	किराया, दर तथा शुल्क	43.78	0.22 \$	44.00
22	मोटर वाहन	24.92	0.00	24.92
23	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20.43	0.10 \$	20.53
24	शस्त्र और गोला बारूद	15.82	0.00	15.82
25	पुरस्कार	4.13	0.00	4.13
26	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	4.03	0.00	4.03
27	गुप्त सेवा व्यय	3.99	0.00	3.99
28	पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेन्ट (पी०ओ०एल०)	0.53	0.00	0.53
29	अन्य	5,236.90	702.63	5,939.53
30	घटाएं- अधिक भुगतान की वसूलियाँ	(-)4,124.55	(-)394.42	(-)4,518.97
	जोड़ -	1,02,623.73	33,803.28	1,36,427.01

\$ कार्यभारित स्थापना पर व्यय किया गया है

(समेकित निधि)

(` करोड़ में)

2016-17			2015-16		
राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
36,209.34	0.00	36,209.34	26,426.21	0.00	26,426.21
10.29	20,499.36	20,509.65	184.02	20,832.58	21,016.60
15,743.85	40.19	15,784.04	14,880.42	43.31	14,923.73
12,514.52	0.00	12,514.52	11,830.46	0.00	11,830.46
8,190.70	0.00	8,190.70	7,097.69	0.00	7,097.69
0.00	5,976.23	5,976.23	0.00	2,875.96	2,875.96
8,749.41	8.03	8,757.44	9,010.36	0.09	9,010.45
0.00	4,214.57	4,214.57	0.00	4,124.85	4,124.85
2,313.99	311.19	2,625.18	2,072.12	149.65	2,221.77
2,973.65	0.00	2,973.65	5,367.99	0.00	5,367.99
3,362.70	0.00	3,362.70	2,628.00	3.73	2,631.73
1,904.61	2.80	1,907.41	2,034.37	3.11	2,037.48
974.59	2.18	976.77	1,063.03	3.04	1,066.07
465.44	237.10	702.54	167.03	91.64	258.67
707.87	0.00	707.87	600.60	0.00	600.60
0.00	113.87	113.87	0.00	621.22	621.22
217.90	0.13	218.03	242.61	0.09	242.70
181.13	0.00	181.13	175.03	0.00	175.03
96.20	0.00	96.20	213.70	0.00	213.70
76.96	0.05	77.01	57.78	0.07	57.85
51.76	0.13	51.89	66.46	0.12	66.58
18.10	0.00	18.10	9.49	0.00	9.49
17.19	0.02	17.21	12.02	0.02	12.04
43.80	0.00	43.80	43.52	0.00	43.52
4.77	0.00	4.77	3.55	0.00	3.55
4.30	0.00	4.30	4.21	0.00	4.21
3.82	0.00	3.82	3.01	0.00	3.01
0.46	0.00	0.46	0.54	0.00	0.54
1,423.57	331.54	1,755.11	312.45	42.61	355.06
(-)1,495.74	(-)200.55	(-)1,696.29	(-)890.73	(-)80.00	(-)970.73
94,765.18	31,536.84	1,26,302.02	83,615.94	28,712.09	1,12,328.03

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(` करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
क. सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा						
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5.29	277.98	1.53	279.51	(-)71.08
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	278.43	2,312.04	269.43	2,581.47	(-)3.23
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	2.46	0.00	2.46	0
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,003.76	4,485.36 ¹	1,665.26	6,150.62	65.90
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	802.87	4,713.04	828.39	5,541.43	3.18
4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00 ²	0.00	0.00	0
जोड़ : क. सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		2,090.35	11,790.88	2,764.61	14,555.49	32.26
ख. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा						
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,074.46	4,230.74	1,518.70	5,749.44	41.35
जोड़ - (क)		1,074.46	4,230.74	1,518.70	5,749.44	41.35
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा						
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	870.43	4,727.71	564.96	5,292.67	(-)35.09
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	35.48	0.00	35.48	0
जोड़ - (ख)		870.43	4,763.19	564.96	5,328.15	(-)35.09
(ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा						
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,163.89	7,275.45 ¹	1,763.58	9,039.03	51.52
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	158.77	430.77 ¹	168.96	599.73	6.42
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	150.27	0.00	150.27	0
जोड़ - (ग)		1,322.66	7,856.49	1,932.54	9,789.03	46.11
(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूँजीगत लेखा						
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	8.80 ¹	0.00	8.80	0
जोड़ - (घ)		0.00	8.80	0.00	8.80	0

¹ऑकड़ें पुर्न के कारण परिवर्तित किए गये हैं ।

²इस शीर्ष के अंतर्गत ` 20,000 का ही लेखांकन किया गया था ।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(` करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(ड) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा						
4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	21.43	446.60 ¹	30.10	476.70	40.46
जोड़ - (ड)		21.43	446.60	30.10	476.70	40.46
(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा						
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	63.70	746.68 ¹	103.75	850.43	62.87
जोड़ - (च)		63.70	746.68	103.75	850.43	62.87
(छ) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा						
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	239.81	845.96	108.29	954.25	(-)-54.84
जोड़ - (छ)		239.81	845.96	108.29	954.25	(-)-54.84
जोड़ : ख. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा		3,592.49	18,898.46	4,258.34	23,156.80	18.53
ग. आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूँजीगत लेखा						
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	61.58	208.64 ¹	55.65	264.29	(-)-9.63
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	14.30	0.00	14.30	0
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	2.91	0.00	2.91	0
4404	डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	13.81	0.00	13.81	0
4405	मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.91	0.00	1.91	0
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	36.09	122.49	9.37	131.86	(-)-74.04
4408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1,107.88	(-)-1.38 ²	1,106.50	0
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.78	0.00	0.78	0
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	30.22	552.93	134.50	687.43	345.07
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	26.61	0.00	26.61	0
जोड़ - (क)		127.89	2,052.26	198.14	2,250.40	54.93

¹ऑकड़ें पुर्न के कारण परिवर्तित किए गये हैं ।

²ऋणात्मक शेष पूँजीगत लेखे में वसूलियों के कारण हैं ।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(` करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(ख) ग्राम विकास का पूँजीगत लेखा						
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	7,891.74	34,899.63	6,387.66	41,287.29	(-)19.06
	जोड़ - (ख)	7,891.74	34,899.63	6,387.66	41,287.29	(-)19.06
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा						
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	728.11	7,149.43 ¹	1,248.29	8,397.72	71.44
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	43.83	7,344.54	(-)0.02 ²	7,344.52	(-)100.05
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	124.21	1,985.89 ¹	129.72	2,115.61	4.44
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.58	0.00	0.58	0
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	899.53	8,696.19 ¹	1,287.50	9,983.69	43.13
	जोड़ - (घ)	1,795.68	25,176.63	2,665.49	27,842.12	48.44
(ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा						
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,738.56	18,066.31	6,931.11	24,997.42	20.78
4810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.50	0.00	1.50	0
	जोड़ - (ङ)	5,738.56	18,067.81	6,931.11	24,998.92	20.78
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा						
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	125.03	164.88 ¹	10.44	175.32	(-)91.65
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	9.87	20.00	29.87	0
4855	उर्वरक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.36	0.00	1.36	0
4857	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	9.00	0.00	9.00	0
4858	इंजीनियरी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.88	0.00	0.88	0
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	102.58	236.05	79.56	315.61	(-)22.44
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	54.86	0.00	54.86	0
4875	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.24	0.00	0.24	0
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	0.50	1,742.83	0.48	1,743.31	(-)4.00
	जोड़ - (च)	228.11	2,219.97	110.48	2,330.45	(-)51.57

¹आँकड़ें पुर्न के कारण परिवर्तित किए गये हैं ।

²ऋणात्मक शेष पूँजीगत लेखे में वसूलियों के कारण हैं ।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(` करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2016-17 के दौरान व्यय	2016-17 तक प्रगामी व्यय	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा						
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	275.07	372.14	26.26	398.40	(-)90.45
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,325.51	40,743.30 ¹	5,372.65	46,115.95	0.89
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	0.62	110.73	3.53	114.26	469.35
5075	अन्य परिवहन सेवाएं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.87	0.00	1.87	0
जोड़ - (छ)		5,601.20	41,228.04	5,402.44	46,630.48	(-)3.55
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा						
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	57.27	469.12 ¹	76.18	545.30	33.02
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूँजीगत परिव्यय	85.11	243.84	108.00	351.84	26.89
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	163.58	4.50	168.08	0
जोड़ - (ज)		142.38	876.54	188.68	1,065.22	32.52
जोड़ : ग. आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा		21,525.56	1,24,520.88	21,884.00	1,46,404.88	1.67
जोड़ : व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)		27,208.40	1,55,210.22 *	28,906.95	1,84,117.17 *	6.24

*14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार का पूँजीगत व्यय (` 11,935.23 करोड़) सम्मिलित है, जिसका विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2018) ।

¹ आँकड़ें पुर्न के कारण परिवर्तित किए गये हैं ।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूँजीगत परिव्यय का विस्तृत ब्योरा खण्ड-11 के विवरण संख्या 16 में दिया गया है ।
 2. वर्ष 2017-18 के अंत तक ` 1,84,117.17 करोड़ की कुल पूँजी परिव्यय, जिसमें संयुक्त बिहार के लिए 14 नवम्बर 2000 तक का ` 11,935.23 करोड़ का प्रगामी परिव्यय सम्मिलित है, जिसका विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखंड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2018)।
 3. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों में सरकारी निवेश के ब्योरे खण्ड-11 के विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं ।
 4. सिंचाई योजनाआ. पर पूँजीगत परिव्यय मुख्य शीर्ष “4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय तथा 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत दिखाये गये हैं। चार योजनाएँ जिसे वाणिज्यिक घोषित की गई है, उनके वित्तीय परिणाम खण्ड-11 के परिशिष्ट VIII में दिखाये गये हैं ।
 5. 2 अप्रैल 1973 को बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना के साथ अन्न आपूर्ति योजना निगम को स्थानांतरित कर दी गई है, स्थानांतरित परिसम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है ।
 6. सरकार के निवेश-वर्ष 2017-18 में सरकार ने ` 7,120.82 करोड़ का निवेश किया । सरकारी कंपनियों में ` 7,051.11 करोड़ तथा सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में ` 69.71 करोड़ निवेश किया गया । वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में विभिन्न संस्थाओं के हिस्सा पूँजी में सरकार द्वारा क्रमशः ` 9,940.24 करोड़, ` 15,916.47 करोड़ तथा ` 23,037.29 करोड़ का कुल निवेश किया गया ।
- 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार के कुल निवेश (` 655.94 करोड़) का विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2018) ।

अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्राप्त लाभांश से संबंधित सूचना निम्नवत है:

वित्तीय वर्ष	प्राप्त लाभांश/ब्याज (` करोड़ में)
2015-16	14.84
2016-17	3.73
2017-18	1.34

विवरण 6: उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण¹

(` djkse)

उधार की प्रकृति		1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2018 को शेष	निवल वृद्धि (+) / कमी (-) का प्रतिशत	कुल दायित्व का प्रतिशत
क.	लोक ऋण						
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	96,595.00	11,770.77	3,841.01	1,04,524.76	8.21	66.67
	बाजार कर्ज	64,989.14	10,000.00	1,092.00	73,897.14	13.71	47.14
	आर०बी०आई० से डब्ल्यू०एम०ए० ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बंध पत्र	2,350.70	0.00	0.00	2,350.70	0.00	1.50
	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	6,029.29	1,770.77	980.26	6,819.80	13.11	4.35
	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	23,218.42	0.00	1,768.75	21,449.67	(-)7.62	13.68
	अन्य कर्ज	7.45	0.00	0.00	7.45	0.00	0.00
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	9,595.81	1,398.65	812.54	10,181.92	6.11	6.49
	योजनेतर कर्ज*	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
	राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज*	191.29	0.00	0.00	191.29	0.00	0.12
	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00
	डब्ल्यू०एम०ए०	42.96	0.00	0.00	42.96	0.00	0.03
	1984-85 के पूर्व के कर्ज	3.91	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए कर्ज*	53.44	7.19	2.89	57.74	8.05	0.04
	राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज*	9,302.09	1,391.46	809.65	9,883.90	6.25	6.30
जोड़ : क. लोक ऋण		106,190.81	13,169.42	4,653.55	1,14,706.68	8.02	73.17
ख. अन्य दायित्व							
लोक लेखे							
	अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	8,891.14	1,844.09	1,924.34	8,810.89	(-)0.90	5.62
	ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	696.39	721.32	1,417.71	0.00	(-)100.00	0.00
	ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	26.32	693.61	693.61	26.32	0	0.02
	ब्याज सहित जमा	88.05	934.94	936.55	86.44	(-)1.83	0.06
	ब्याज रहित जमा	22,828.79	42,049.07	31,731.42	33,146.44	45.20	21.14
जोड़ : ख. अन्य दायित्व		32,530.69	46,243.03	36,703.63	42,070.09	29.32	26.83
जोड़ : लोक ऋण तथा अन्य दायित्व		1,38,721.50	59,412.45	41,357.18	1,56,776.77	13.02	100.00

* सीजीए के शुद्धि पत्र संख्या 832 दिनांक 6 जनवरी 2017 के अनुसार प्रोफार्मा अंतरण किया गया है

¹ विस्तृत लेखा खण्ड-11 में विवरण 17 में है।

² डब्ल्यू०एम०ए०: अर्थोपाय अग्रिम

टिप्पणी : ऋण शोधन की व्यवस्था, ऋण शोधन कार्य इत्यादि के व्योरे के लिए, इस विवरण के अगले पृष्ठ पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ को देखा जाय।

विवरण 6: उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. **। ण शोधन की व्यवस्था :** 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008-09 में एक निक्षेप निधि सृजित की गई है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2017-18 तक ` 4,111.24 करोड़ उपलब्ध कराया गया है ।
2. **अल्प बचत निधि से कर्ज :** डाकघर में 'अल्प बचत योजनाओं' एवं 'लोक भविष्य निधि' की वसूली में से कर्ज को राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच 3:1 अनुपात में हिस्सेदारी के रूप में बाँटा जा रहा है । अल्प बचत वसूलियों से कर्ज को विमुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि यथा 'राष्ट्रीय अल्प बचत निधि' का निर्माण किया गया था । वर्ष 2017-18 के दौरान कोई नया कर्ज नहीं प्राप्त किया गया केवल ` 1,768.75 करोड़ के कर्ज की अदायगी वर्ष के दौरान की गई । वर्ष के अन्त तक शेष बकाया ` 21,449.67 करोड़ था जो 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण का 18.70 प्रतिशत था ।
3. **भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम, बाजार ऋण इत्यादि :** भारत सरकार से प्राप्त कर्जों का ब्योरा खण्ड II के विवरण 17 में दिये गये हैं ।
4. **ऋण शोधन कार्य**

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज- वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व तथा निवल ब्याज प्रभार जिसे राजस्व से पूरा किया गया, निम्नवत थे :-

		2017-18	2016-17	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (<math>(-)</math> करोड़ में)
(i)	वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क)	लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	1,23,517.57	1,15,081.95	8,435.62
(ख)	अन्य दायित्व	33,259.20	23,639.55	9,619.65
	जोड़ (i)	1,56,776.77	1,38,721.50	18,055.27
(ii)	सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज			
(क)	लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर	9,042.29	8,186.73	855.56
(ख)	अन्य दायित्वों पर	11.49	3.93	7.56
	जोड़ (ii)	9,053.78	8,190.66	863.12
(iii)	घटाएं			
(d)	सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	0.48	209.87	(-)209.39
([k)	रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त किया गया ब्याज	799.82	804.44	(-)4.62
	जोड़ (iii)	800.30	1,014.31	(-)214.01
(iv)	ब्याज प्रभारों की निवल राशि	8,253.48	7,176.35	1077.13
(v)	कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में सकल ब्याज {मद(ii)} की प्रतिशतता	7.71	7.76	(-)0.05
(vi)	कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में निवल ब्याज {मद(iv)} की प्रतिशतता	7.03	6.80	0.23

अन्य प्राप्तियाँ तथा समायोजनों में इसके अतिरिक्त ` 776.94 करोड़ 'विविध' लेखा पर ब्याज सम्मिलित थे । अगर इन्हें घटा दिया जाय तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ` 7,476.54 करोड़ होगा जो राजस्व का 6.37 प्रतिशत आता है ।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ` 1.34 करोड़ विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर लाभांश के रूप में प्राप्त किया गया ।

5. **ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन :** वर्ष 2017-18 के दौरान ` 693.61 करोड़ की राशि ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजित किया गया ।

विवरण 7: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण

भाग 1: ऋण और अग्रिमों का सारांश - ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल, 2017 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2018 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय/अकादमी संस्थान	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	386.85	0.00	0.00	0.00	386.85	0.00	63.40
आवास बोर्ड	127.47	0.00	0.00	0.00	127.47	0.00	0.00
सरकारी कम्पनियाँ	5,187.08	224.55	0.00	0.00	5,411.63	224.55	2,376.87
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	1,106.42	0.00	3.70	0.00	1,102.72	(-)3.70	547.03
पंचायती राज संस्थायें	57.63	0.00	0.00	0.00	57.63	0.00	23.54
सांविधिक निगम	13,376.82	0.00	0.00	0.00	13,376.82	0.00	4,394.99
सरकारी सेवक	85.36	18.23	18.17	0.00	85.42	0.06	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
अन्य	615.02	0.00	0.02	0.00	615.00	(-)0.02	417.64
जोड़	20,948.29	242.78	21.89	0.00	21,169.18	220.89	7,823.47

निम्नलिखित ऋण के मामलों को "शाश्वत ऋण" के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है ।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश सं०	राशि	ब्याज दर
"सूचना उपलब्ध नहीं"					

विवरण 7: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण

भाग 2 : ऋण और अग्रिमों का सारांश - क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल, 2017 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2018 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाएं	485.85	0.00	0.00	0.00	485.85	0.00	86.94
आर्थिक सेवाएं	20,376.23	224.55	3.72	0.00	20,597.06	220.83	7736.53
सरकारी कर्मचारी	85.36	18.23	18.17	0.00	85.42	0.06	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
जोड़	20,948.29	242.78	21.89	0.00	21,169.18	220.89	7,823.47

भाग 3 : ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2018 को बकाया राशि*			शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है*	31 मार्च 2018 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	19.54	63.40	82.94	2001-02	386.85
आवास बोर्ड	0.00	0.00	0.00	2001-02	127.47
सरकारी कम्पनियाँ	2,650.83	2,376.87	5,027.70	2001-02	5,411.64
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगमों/बैंक	672.12	547.03	1,219.15	2001-02	1,102.72
पंचायती राज संस्थायें	17.47	23.54	41.01	2001-02	57.63
सांविधिक निगम	3,525.95	4,394.99	7,920.94	2001-02	13,376.82
अन्य	208.50	417.64	626.14	2001-02	615.00
जोड़	7,094.41	7,823.47	14,917.88		21,078.13

1 ऑकड़े पुर्णन के कारण परिवर्तित किए गए हैं।

* वर्ष 2000-01 तक बकाया राशि ₹ 3,446.27 करोड़ (मूलधन ₹ 1,522.50 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1,923.77 करोड़) विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।

विवरण 8: सरकार के निवेशों का विवरण

2016-17 तथा 2017-18 में विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	संस्था का नाम	2017-18			2016-17		
		संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश / ब्याज	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश / ब्याज
1	सांविधिक निगम	3	105.63	0.00	3	105.63	0.00
2	ग्रामीण बैंक	1	30.19	0.00	1	30.19	0.00
3	सरकारी कम्पनियाँ	45	22,242.61	1.05	44	15,191.50	3.44
4	अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ और साझेदारी	10	53.68	0.00	10	53.68	0.00
5	सहकारी संस्था एवं स्थानीय निकाय	17	605.18	0.29	17	535.47	0.29
जोड़		76	23,037.29	1.34	75	15,916.47	3.73

विवरण 9: सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के सेक्टर वार विवरण और विभिन्न सेक्टर में 31 मार्च 2018 को बकाया गारंटी की रकम नीचे दिखायी गयी है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सेक्टर (गारंटियों की संख्या कोष्ठक के अन्दर)	गारंटी की अधिकतम राशि		वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2017-18 के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष 2017-18 के दौरान विलोपन (माँग को छोड़कर)	वर्ष 2017-18 के दौरान लागू		वर्ष 2017-18 के अंत में बकाया		गारंटियों का कमीशन या शुल्क		अन्य विषयक विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			मुक्त किया गया	मुक्त नहीं किया गया	मूलधन	ब्याज	प्राप्त योग्य	प्राप्त	
1.	बिजली (*)	12,166.91	39.42	2,977.58	55.30	1,159.56	440.21	0.00	0.00	3,717.26	37.36	*	*	*
2.	सहकारिता (*)	1,268.84	308.00	456.09	10.04	17.94	12.60	0.00	0.00	461.43	10.55	0.00	0.00	*
3.	सिंचाई (*)	4.93	0.00	0.00	0.00	*	*	*	*	0.00	0.00	*	*	*
4.	सड़क तथा परिवहन (*)	2,000.00	0.00	43.00	0.00	*	43.00	*	0.00	0.00	*	*	*	*
5.	राज्य वित्तीय निगम	183.57	*	127.47	29.97	*	*	*	*	127.47	29.97	*	*	*
6.	शहरी विकास तथा आवास (*)	90.00	*	17.21	3.51	*	*	*	*	17.21	3.51	*	*	*
7.	अन्य आधारभूत संरचनाएं (*)	33.76	*	16.06	6.56	*	*	*	*	16.06	6.56	*	*	*
8.	कोई अन्य (*)	4,486.09	0.00	1,111.84	10.44	2,500.00	1,900.00	*	*	835.06	9.26	3.13	2.38 \$	*
	जोड़	20,234.10	347.42	4,749.25	115.82	3,677.50	2,395.81	0.00	0.00	5,174.49	97.21	3.13	2.38	*

नोट: राज्य सरकार द्वारा गारंटी परिहार निधि का सृजन अब तक नहीं किया गया है ।

\$ बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम ने मार्च 2018 में ₹ 2,37,50,000.00 गारंटी शुल्क के रूप में जमा किया है ।

* राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई ।

विवरण 10: सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(i) सहायता अनुदान का नकद रूप में भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदेयी का नाम/श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि			कॉलम संख्या (2) के अंतर्गत विमुक्त कुल निधि में से संपत्ति के सृजन हेतु आवंटित निधि			सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि
		2017-18			2017-18			2016-17
		(2)			(3)			(4)
		स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध	जोड़	स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध	जोड़	
1.	पंचायती राज संस्थाएँ	871.73	6,701.21	7,572.94	226.59	0.00	226.59	2,659.04
	(I) जिला परिषद्	433.17	2,178.56	2,611.73	129.92	0.00	129.92	725.15
	(II) पंचायत समितियाँ	377.32	4,522.65	4,899.97	89.90	0.00	89.90	0.05
	(III) ग्राम पंचायत	61.24	0.00	61.24	6.77	0.00	6.77	1,933.84
2.	शहरी स्थानीय निकाय	953.73	840.79	1,794.52	943.76	215.56	1,159.32	3,135.50
	(I) नगर निगम	679.70	356.52	1,036.22	675.66	96.02	771.68	964.75
	(II) नगरपालिका / नगर परिषद्	30.82	253.08	283.90	27.59	66.82	94.41	734.72
	(III) अन्य	243.21	231.19	474.40	240.51	52.72	293.23	1,436.03
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	89.50	19.50	109.00	63.90	0.00	63.90	25.92
	(I) सरकारी कंपनियाँ	15.55	0.00	15.55	12.41	0.00	12.41	25.66
	(II) सांविधिक निगम	73.95	19.50	93.45	51.49	0.00	51.49	0.26
4.	स्वायत्त संस्थाएँ	28,175.05	5,693.60	33,868.65	2,511.57	260.93	2,772.50	30,348.88
	(I) विश्वविद्यालय	256.73	4,426.54	4,683.27	171.64	3.63	175.27	3,101.99
	(ii) विकास प्राधिकरण	1,729.16	57.60	1,786.76	387.06	0.00	387.06	11,645.91
	(iii) सहकारी संस्थाएँ	352.02	0.00	352.02	101.02	0.00	101.02	67.52
	(iv) अन्य	25,837.14	1,209.46	27,046.60 ¹	1,851.85	257.30	2,109.15	15,533.46
5.	गैर सरकारी संगठन	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	40.00
	(I) अन्य	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	40.00
	कुल जोड़	30,103.63	13,255.10	43,358.73	3,745.82	476.49	4,222.31	36,209.34

¹ मध्याह्न भोजन योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना तथा सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि पर किए गए व्यय भी सम्मिलित हैं ।

विवरण 10: सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(ii) वस्तु रूप में दिए गए सहायता अनुदान

(करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदेयी का नाम/श्रेणी	वस्तु के रूप में कुल सहायता अनुदान का मूल्य	वस्तु के रूप में सहायता अनुदान जो पूँजीगत परिसंपत्ति के स्वरूप में हो, का मूल्य	2016-17
		2017-18		
1. पंचायती राज संस्थाएँ				
(i)	जिला परिषद्	0.00	0.00	0.00
(ii)	पंचायत समितियाँ	0.00	0.00	0.00
(iii)	ग्राम पंचायत	0.00	0.00	0.00
2. शहरी स्थानीय निकाय				
(i)	नगर निगम	0.00	0.00	0.00
(ii)	नगरपालिका / नगर परिषद्	0.00	0.00	0.00
(iii)	अन्य	0.00	0.00	0.00
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम				
(i)	सरकारी कंपनियाँ	0.00	0.00	0.00
(ii)	सांविधिक निगम	0.00	0.00	0.00
4. स्वायत्त संस्थाएँ				
(i)	विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00
(ii)	विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00
(iii)	सहकारी संस्थाएँ	0.00	0.00	0.00
(iv)	अन्य	0.00	0.00	0.00
5. गैर सरकारी संगठन				
(i)	अन्य	0.00	0.00	0.00
कुल जोड़		0.00	0.00	0.00

नोट: उपरोक्त आँकड़े राज्य सरकार के संबंधित विभागों से उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित हैं।

विवरण 11: दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	वास्तविकी					
	2017-18			2016-17		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	9,942.96	92,680.77	1,02,623.73	8,933.90	85,831.28	94,765.18
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	0.00	28,906.95	28,906.95	0.00	27,208.40	27,208.40
लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिमों, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अधीन भुगतानों और आकस्मिकता निधि को अंतरण (क)	4,653.55	242.78	4,896.33	4,214.57	113.87	4,328.44
जोड़ :	14,596.51	1,21,830.50	1,36,427.01	13,148.47	1,13,153.55	1,26,302.02
(क) आँकड़े निम्नवत् परिगणित किए गए हैं :						
ड. लोक ऋण						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	3,841.01	0.00	3,841.01	3,460.49	0.00	3,460.49
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा उधार	812.54	0.00	812.54	754.08	0.00	754.08
च. ऋण तथा अग्रिम*						
सामान्य सेवाओं के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	0.00	224.55	224.55	0.00	92.49	92.49
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	0.00	18.23	18.23	0.00	21.38	21.38
विविध प्रयोजनों के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छ. अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ज. आकस्मिकता निधि को अंतरण						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ (क) :	4,653.55	242.78	4,896.33	4,214.57	113.87	4,328.44
(i) 2016-17 तथा 2017-18 में हुए कुल व्यय से प्रभारित एवं दत्तमत व्यय की प्रतिशतता निम्नवत् थी :-						
वर्ष	कुल व्यय की प्रतिशतता					
	प्रभारित	दत्तमत				
2016-17	10.41	89.59				
2017-18	10.70	89.30				

*विस्तृत लेखा खण्ड-11 में विवरण 18 में दिए गए हैं ।

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2017 को	वर्ष 2017-18 के दौरान	31 मार्च 2018 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय			
पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्रवार)			
सामान्य सेवाएं	12,117.13	2,791.88	14,909.01
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4,326.85	1,520.05	5,846.90
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	4,963.82	573.51	5,537.33
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	7,870.18	1,932.55	9,802.73
सूचना तथा प्रसारण	8.98	0.00	8.98
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	495.39	31.81	527.20
समाज कल्याण तथा पोषण	849.51	121.80	971.31
अन्य सामाजिक सेवाएं	935.06	135.54	1,070.60
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	2,074.99	204.38	2,279.37
ग्रामीण विकास	35,234.03	6,479.35	41,713.38
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	25,282.55	2,678.34	27,960.89
ऊर्जा	18,067.81	6,931.11	24,998.92
उद्योग तथा खनिज	2,231.72	112.05	2,343.77
परिवहन	41,766.66	5,598.69	47,365.35
सामान्य आर्थिक सेवाएं	887.28	190.90	1,078.18
सकल पूँजीगत व्यय	1,57,111.96	29,301.96	1,86,413.92
घटाएं-अधिक भुगतान की वसूलियाँ	(-)1,900.64	(-)395.01	(-)2,295.65
निवल पूँजीगत व्यय	1,55,211.32	28,906.95	1,84,118.27
ऋण तथा अग्रिम			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4.79	0.00	4.79
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	467.24	0.00	467.24
समाज कल्याण तथा पोषण	13.70	0.00	13.70
अन्य	0.12	0.00	0.12

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2017 को	वर्ष 2017-18 के दौरान	31 मार्च 2018 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय - (क्रमांत)			
ऋण तथा अग्रिम - (क्रमांत)			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम - (क्रमांत)			
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	2,850.75	(-)3.49	2,847.26
ग्रामीण विकास	59.88	(-)0.02	59.86
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	55.61	0.00	55.61
ऊर्जा	15,520.91	224.35	15,745.26
उद्योग तथा खनिज	814.50	(-)0.01	814.49
परिवहन	891.12	0.00	891.12
सामान्य आर्थिक सेवाएं	183.46	0.00	183.46
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	85.36	0.06	85.42
विविध कार्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.85
जोड़ : ऋण तथा अग्रिम	20,948.29	220.89	21,169.18
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-)74.01	0.00	(-)74.01
जोड़ : पूँजीगत तथा अन्य व्यय	1,76,085.60	29,127.84	2,05,213.44
घटाएं			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	0.00	0.00	0.00
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	1.10	0.00	1.10
निवल पूँजीगत तथा अन्य व्यय	1,76,084.50	29,127.84	2,05,212.34
निधियों के प्रमुख स्रोत			
2017-18 के लिए राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	0.00	14,823.01	0.00
जोड़ें-वापसी/विनिवेश खाते में समायोजन	0.00	0.00	0.00
ऋण-			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	96,595.00	7,929.76	1,04,524.76
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	9,595.81	586.11	10,181.92
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	8,891.14	(-)80.25	8,810.89
जोड़ : ऋण	1,15,081.95	8,435.62	1,23,517.57

(V)

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2017 को	वर्ष 2017-18 के दौरान	31 मार्च 2018 को
निधियों के प्रमुख स्रोत - (क्रमांत)			
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	350.00	0.00	350.00
आरक्षित निधि	722.71	(-)696.39	26.32
जमा तथा अग्रिम	22,765.45	10,314.32	33,079.77
उच्चत तथा विविध (सरकारी लेखे में संवृत एवं रोकड़ शेष निवेश लेखा से भिन्न राशि)	(-)5,487.24 ¹	579.97	(-)4,907.27
प्रेषण	(-)1,193.65	(-)2.76	(-)1,196.41
जोड़ - अन्य दायित्व	17,157.28	10,195.14	27,352.41
जोड़ - ऋण एवं अन्य दायित्व	1,32,239.23	18,630.76	1,50,869.98
घटाएं-रोकड़ शेष	114.90	(-)68.00	46.90
घटाएं-निवेश	13,001.71	4,393.92	17,395.63
जोड़- 2017-18 के दौरान सरकारी लेखे में संवृत राशि	0.00	0.00	0.00
निधियों का निवल प्रावधान	1,19,122.62	14,304.84	1,33,427.45

(B)

(क) 31 मार्च 2018 को निवल पूँजी तथा अन्य व्यय (ट) और निधियों का निवल प्रावधान (ठ) के बीच ₹ 71,784.89 करोड़ का अंतर था, जिसकी व्याख्या नीचे की गई है :-

1. 31 मार्च 2017 को संचित राजस्व अधिशेष	51,157.01
2. वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व अधिशेष	14,823.01
3. बिहार एवं पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का रोकड़ शेष अंतरण) अधिनियम, 1956 के अधीन पश्चिम बंगाल को अंतरित शेषों का निवल प्रभाव, लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन, अशुद्धियों के सुधार एवं लेखाओं के वर्गीकरण का पुनर्गठन तथा 2000-01 (1 अप्रैल 2000 से 14 नवम्बर 2000) की अवधि तक सरकारी लेखे में संवृत शेषों के फलस्वरूप प्रोफार्मा रूप से पृथक शेष/व्यय	(-)185.80
4. झारखण्ड राज्य को अंतरित रोकड़ शेष (दिनांक 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 का लेखा)	28.73
5. झारखंड राज्य हेतु विभाजित आंतरिक ऋण	2,211.70
6. झारखंड राज्य हेतु विभाजित केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	3,750.24
जोड़	71,784.89

¹ आँकड़ा पूर्णांकन के कारण परिवर्तित किया गया है ।

विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार

क. 31 मार्च 20178 को शेषों का सार निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे का खंड	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	
1,12,332.27 *	क से घ और ठ का भाग (केवल मुख्य शीर्ष 8680)	सरकारी लेखा	
	ड	लोक ऋण	1,14,706.68
21,169.18	च	ऋण तथा अग्रिम	
		अन्तर्राज्यीय परिशोधन	74.01
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि	350.00
		लोक लेखा	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	8,810.89
	ञ	आरक्षित निधि	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	0.00
		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	4,137.65
		सकल शेष	4,137.65
4,111.33		निवेश	
	ट	जमा तथा अग्रिम	
		(i) ब्याज वाली जमा	86.44
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	33,146.44
153.11		(iii) अग्रिम	
	ठ	उच्चत तथा विविध	
17,395.63		निवेश	
4,907.28		अन्य मदें (निवल)	
1,196.41	ड	प्रेषण	
46.90	ढ	रोकड़ शेष ^(क)	
1,61,312.11		जोड़	1,61,312.11

* इस आँकड़े को किस प्रकार परिगणित किया गया है, के लिए कृपया अगले पृष्ठ पर 'ख' देखी जाय ।

(क) "रिजर्व बैंक जमा के संबंध में, जो सरकार के रोकड़ शेष का एक घटक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित तथा लेखा में प्रदर्शित राशि के बीच में अन्तर था। विस्तृत ब्यौरे के लिए पृष्ठ 7 पर विवरणी 2 के अनुबंध क के पाद टिप्पणी (1) का संदर्भ लिया जा सकता है ।"

विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार

ख. सरकारी लेखा : सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही-खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत पुस्ताकित राशियाँ तथा सरकार के अन्य लेन देन, जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं लाये जाते, एक ही शीर्ष में संवरित किए जाते हैं जिसे “सरकारी लेखा” कहा जाता है। इस शीर्ष का शेष ऐसे ही सभी लेन देनों के संचयी परिणाम का द्योतक है।

इसमें लोक-ऋण, ऋण तथा अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा को छोड़कर), प्रेषण और आकस्मिकता निधि के शेषों को जोड़कर वर्ष के अंत में शेष निकाला और सिद्ध किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्षों में सरकारी पुस्तकों के उन सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किये गये हैं, जिनमें सरकार पर प्राप्त किये गये धन को वापस करने का दायित्व होता है या जहाँ सरकार भुगतान की गई रकम वसूल करने का दावा रखती है और इसके साथ ही ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी शामिल हैं, जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके अन्तर्गत भूमि, इमारतें, संचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी संचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अन्तर्गत हिसाब में नहीं लाया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखा के नामे निवल राशि निम्नानुसार परिगणित किया गया है -

ukes	fooj.k		tek
			(₹ करोड़ में)
98,248.33	क.	1 अप्रैल 2017 को सरकारी लेखा में डेबिट की राशि	
	ख.	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,17,446.74
	ग.	प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
1,02,623.73	घ.	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
28,906.95	ङ.	व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
	च.	उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखा)	
	छ.	31 मार्च 2018 को सरकारी लेखे में डेबिट की गई राशि	1,12,332.27
2,29,779.01	tkp		2,29,779.01

(i) कई मामलों में “प्राप्ति, संवितरण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा” (खण्ड II के विवरण संख्या 14, 15, 17, 18 तथा 21) के प्रतिवेदित विवरण के अन्तःशेष में असमाधानित अन्तर होता है तथा जिसे अलग रजिस्टर में दिखाया जाता है अथवा अन्य अभिलेख लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए संधारित किया जाता है। विसंगतियों के निराकरण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) प्रत्येक वर्ष शेषों के सत्यापन एवं अभीस्वीकृति के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है। बहुत से मामलों में ऐसी अभीस्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) मामले जहाँ शेषों की अभीस्वीकृति में विलम्ब किया गया है और जहाँ सम्बद्ध राशि विचाराधीन है, खण्ड-II के परिशिष्ट VII के तालिका 1 में अंकित किए गये हैं।

(iv) मामले जहाँ शेषों के समाधान के लिए ब्योरे/दस्तावेज प्रतीक्षित हैं, खण्ड-II के परिशिष्ट VII के तालिका 2 में विस्तार से वर्णित हैं।

लेखे पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(i) **अस्तित्व एवं लेखा अवधि** : वित्त लेखे 2017-18 बिहार सरकार के 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के संव्यवहारों को दर्शाते हैं तथा राज्य सरकार के 75 कोषागारों, 207 सिंचाई प्रमण्डलों को मिलाकर 602 लोक कार्य प्रमण्डलों, 47 वन प्रमण्डलों द्वारा प्रत्येक माह में प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं और भारत के रिजर्व बैंक के सूचनाओं पर आधारित होते हैं। मासिक लेखे प्रस्तुति में विलम्ब नगण्य थे और वर्ष के अंत तक कोई लेखे छोड़े नहीं गए थे।

(ii) **लेखे का आधार** : लेखे, कुछ पुस्त समायोजनों को छोड़कर (अनुबंध-क) लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों एवं सवितरणों को दर्शाते हैं। भौतिक परिसम्पत्तियाँ तथा वित्तीय परिसम्पत्तियाँ जैसे कि सरकारी निवेश आदि को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाए जाते हैं। भौतिक परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन या परिशोधन नहीं किए जाते हैं।

लेखा अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति लाभों पर किए गए व्यय को लेखे में प्रतिबिम्बित किया गया है, परन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्वों अर्थात् विगत एवं वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों पर होने वाले भुगतान संबंधी दायित्वों को इस लेखे में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं** : बिहार सरकार के लेखे का संधारण भारतीय रुपये (₹) में किया जाता है।

(iv) **लेखे का स्वरूप** : संघ और राज्यों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 150 के अधीन उसी रूप में रखा जाता है जिस स्वरूप में राष्ट्रपति महोदय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में व्यवहृत शब्द “स्वरूप” का विस्तृत अर्थ होता है, इसलिए नहीं कि इसमें लेखाओं के रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण सम्मिलित है, बल्कि इसलिए भी कि यह शीर्ष चयन का आधार होता है जिसमें संव्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है।

(v) **पूँजी एवं राजस्व के बीच वर्गीकरण** : पूँजीगत परिव्यय मुख्यतः स्थायी प्रकृति के परिसम्पत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण/बढ़ाने या स्थायी दायित्वों को कम करने के उद्देश्य पर किया गया व्यय है। स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय सहित ईकाई के चालन तथा इसके परिसम्पत्तियों के रखरखाव पर हुए अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार के द्वारा संसूचित भारत सरकार लेखाकरण मानक (आई०जी०ए०एस०) 2 के अनुसार, सहायक अनुदान के रूप में किया गया व्यय प्रदाता के पुस्त में राजस्व व्यय तथा प्राप्तकर्ता के पुस्त में राजस्व प्राप्त के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

(vi) **अधिक अदायगियों तथा वापसियों की वसूलियों का लेखांकन** : पूर्व के वर्षों से संबंधित अधिक अदायगियों की वसूलियों को विनियोग लेखे के उद्देश्य से सकल व्यय प्राप्त करने तथा वित्त लेखे के लिए, उन्हे व्यय में कमी के रूप में, वर्ष के दौरान निवल व्यय प्राप्त करने हेतु, राजस्व व्यय के लिए संबंधित मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष “911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ” के अंतर्गत तथा पूँजीगत व्यय के लिए संबंधित

मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्ष के अधीन उप शीर्ष “0099, 0199, 0499 एवं 0699” के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है ।

राजस्व की वापसियों को उनके संग्रह वर्ष के निरपेक्ष वर्तमान राजस्व में घटाते हुए लिया जाता है तथा करेतर राजस्व के संबंध में संबंधित मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष “900- घटाएं वापसियाँ” तथा कर राजस्व के मामले में संबंधित लघु शीर्ष के अधीन उप शीर्ष “0099-घटाएं वापसियाँ” के अंतर्गत दर्शाया गया है ताकि कर का निवल संग्रह निर्धारित किया जा सके ।

(vii) **रोकड़ शेष** : सरकार के रोकड़ शेष में इसके सभी तीनों भागों यथा संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के रोकड़ शेष का समावेश है । न्यूनतम रोकड़ शेष जो बरकरार रखना है एवं रोकड़ शेष का निवेश सहित अधिक सूचना विवरण संख्या 2 के अनुबंध ‘क’ के अंतर्गत व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ के रूप में दिया गया है ।

2. लेखे की संपूर्णता

(i) राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधि का सीधे स्थानान्तरण (राज्य बजट के बाहर परिचालित निधि)

भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) को पर्याप्त निधि सीधे स्थानान्तरित किया गया । महालेखा नियंत्रक (सी०जी०ए०) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी०एफ०एम०एस०) पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने बिहार में क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 7,953.16 करोड़ विमुक्त किया । विस्तृत ब्यौरा वित्त लेखे (खण्ड II) के परिशिष्ट-VI में है । के०प्रा०स्कीमों/ए०सी०ए० के लिए सकल सहायता सीधे राज्य सरकार को न कि क्रियान्वयन अभिकरणों को विमुक्त करने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधा स्थानान्तरण में 213.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ii) **वचनबद्ध देयताएँ**

12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रतिवेदन में, लेखांकन का उपार्जन आधारित प्रणाली में परिवर्तन अनुमोदित होता है, केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रणाली पर कुछ कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है । यद्यपि, चूँकि लेखांकन के उपार्जन आधारित लेखांकन प्रणाली में बदलाव के लिए परिवर्तन क्रमिक होंगे, वर्तमान नकद लेखांकन पद्धति को अधिक निर्णय सूचक बनाने में समर्थ करने के लिए कुछ अतिरिक्त सूचनाएँ विवरणी के रूप में संलग्न किए जाने आवश्यक थे । इसमें भविष्य के नकदी प्रवाह आदि के लिए बजट में प्रस्तावित वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिये गये प्रमुख नीतिगत फैसले या नई योजनाओं के निहितार्थ भविष्य में प्रतिबद्ध देयताएं पर शामिल है । वित्त लेखे (खण्ड II) के परिशिष्ट-XII में प्रतिबद्ध देयताओं में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ब्यौरे को शामिल किया गया है । चूँकि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है, इसलिए यह परिशिष्ट उस सीमा तक अपूर्ण है ।

3. लेखे की विशेषताएँ

(i) अविभाजीत एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) का हस्तांतरण और अग्रिम विभाजन

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतादेश के अनुसार, आईजीएसटी के अग्रिम विभाजन के रूप में ₹ 552.00 करोड़ प्राप्त हुये और चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ₹ 6,572.00 करोड़ बिहार सरकार को हस्तान्तरित किया गया जिसका वास्तविक प्राप्तियों के अनुसार लेखांकन किया गया ।

(ii) लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज-‘अन्य प्राप्तियाँ’ एवं ‘अन्य व्यय’

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय को मात्र तभी व्यवहार में लाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो । लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना है क्योंकि यह अस्पष्ट लेखे को प्रस्तुत करता है । वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व एवं पूँजी लेखा के 19 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 107.09 करोड़ का व्यय,संगत मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष ‘800-अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कुल (राजस्व + पूँजी) व्यय (₹ 1,31,530.68 करोड़) का 0.08 प्रतिशत है । इसी प्रकार, लेखे के 46 राजस्व मुख्य शीर्षों के अधीन प्राप्तियों में (सहायता अनुदान को छोड़कर) ₹ 1,607.18 करोड़ संगत मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष ‘800-अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,17,446.74 करोड़) का लगभग 1.37 प्रतिशत है । लघु शीर्ष क्रमशः 800-अन्य व्यय एवं 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत (संबंधित मुख्य शीर्ष के अधीन दर्ज कुल व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक) प्राप्तियों एवं व्यय के एक बड़े हिस्से के उदाहरणों को **अनुबंध-ख** में दर्शाया गया है ।

(iii) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता 2011 के अनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अदृष्टिगत व्यय को पूरा करने के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से, सेवा मुख्य शीर्षों को नामे करते हुए राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत होते हैं । इसके सापेक्ष उन्हें अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों सहित विस्तृत आकस्मिक (डी०सी०) विपत्रों को, आकस्मिक विपत्र की निकासी के छः माह के अंदर महालेखाकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुत करने में विलम्ब अथवा लम्बे समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाना, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के अधीन हुए व्यय के अपारदर्शिता को प्रस्तुत करता है । दिनांक 31 मार्च 2018 को लंबित डी०सी० विपत्रों की विवरणी नीचे दी गई है :

तालिका-1 : समायोजन हेतु लंबित ए०सी० विपत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित डी०सी० विपत्रों की संख्या	राशि
2015-16 तक	12,689	2,348.48
2016-17	1,017	910.59
2017-18	1,508*	2,903.61
जोड़	15,214	6,162.68

(*) 1,508 ए०सी० विपत्रों में से ₹ 884.31 करोड़ की राशि के 522 ए०सी० विपत्र 31 मार्च 2018 के बाद देय होंगे ।

स्रोत- भी०एल०सी० डाटा बेस

लंबित ए०सी० विपत्र का बड़ा भाग संबंधित है :

(₹ करोड़ में)

क्रम० स०	शीर्ष	ए०सी० विपत्रों की संख्या	राशि	कुल योग के सापेक्ष प्रतिशत
1.	2202-सामान्य शिक्षा	740	123.39	2.00
2.	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	269	1,635.51	26.54
3.	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,564	200.00	3.25
4.	2408- खाद्य भंडारण तथा भंडागार	2	152.65	2.48
5.	2852- उद्योग	77	212.06	3.44
6.	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	58	169.39	2.75
7.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	141	882.98	14.33
8.	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	263	119.78	1.94
9.	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	107	222.04	3.60
10.	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	63	148.25	2.41
11.	5054- सड़कों और सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	66	148.25	2.41

2017-18 में ₹ 2,906.91 करोड़ राशि के 1,540 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए थे जिसमें से केवल मार्च 2018 में ₹ 867.31 करोड़ राशि के (2017-18 में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से आहरित कुल राशि का 29.84 प्रतिशत) 491 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किये गये थे और इसमें से ₹ 73.01 करोड़ के 43 आकस्मिक विपत्र की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया गया था । वर्ष 2017-18 के दौरान 1,540 आकस्मिक विपत्रों में से, ₹ 922.58 करोड़ (2017-18 में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से आहरित कुल राशि का 31.74 प्रतिशत) के 260 आकस्मिक विपत्र विभिन्न पूंजी शीर्षों के अंतर्गत आहरित किये गये । मार्च माह में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से अत्यधिक व्यय इंगित करता है कि निकासी मुख्यतः बजट प्रावधानों को निःशेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है ।

(iv) अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, कोषागार से किसी प्रकार की राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह तत्काल भुगतान के लिए अपेक्षित न हो । यदि विशेष परिस्थिति में धन की अग्रिम निकासी की जाती है, तो इस प्रकार से निकासी की गई राशि के अव्ययित शेष को आगामी विपत्र में कम निकासी करके चालान के माध्यम से, और प्रत्येक मामले में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले, जिसमें उस राशि की निकासी की गई है, कोषागार को वापस लौटा देना चाहिए । 31 मार्च 2018 को इन अनुदेशों के आलोक में ₹ 145.24 करोड़, जिसे

कोषागार को वापस किया जाना चाहिए था, असमायोजित अग्रिम के रूप में लंबित थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 16.01 करोड़, कार्य प्रमण्डलों में अग्रदाय के रूप में पड़े थे। विस्तृत ब्यौरा विवरणी अनुबंध-ग में दी गयी है।

(v) सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र

वित्त विभाग के संकल्प सं०-एम०04-15/2009-9736/एफ०(2) दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा यथा संशोधित बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के अनुसार, स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे एवं इसे अनुदान की निकासी के 18 माह के अन्दर महालेखाकार को भेजेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत किए गए सहायता अनुदान की विवरणी वित्त लेखे (खण्ड II) के परिशिष्ट III में दर्शायी गई है।

31 मार्च 2018 को लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति निम्नवत है :

तालिका-2 : लंबित यू०सी० का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष (*)	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षित संख्या	राशि
2015-16 तक	1,763	15,061.31
2016-17	376	6,851.79
2017-18	316	14,680.40
जोड़	2,455	36,593.50

(* उपर्युक्त वर्णित वर्ष "लंबित वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात)

स्रोत- भी०एल०सी० डाटा बेस

31 मार्च 2018 को ₹ 36,593.50 करोड़ राशि के 2,455 यू०सी० लंबित थे।

प्रमुख चूककर्ता विभाग जिन्होंने यू०सी० समर्पित नहीं किया है:

क्रम० सं०	विभाग	यू०सी० की संख्या	राशि	कुल योग के सापेक्ष प्रतिशत
1.	शिक्षा विभाग	428	8,886.27	24.28
2.	ग्रामीण विकास विभाग	75	5,422.20	14.82
3.	शहरी विकास एवं आवास विभाग	622	5,045.30	13.78
4.	पंचायती राज विभाग	260	4,680.36	12.79
5.	स्वास्थ्य विभाग	21	3,918.42	10.71
6.	एस०सी० एवं एस०टी० कल्याण विभाग	104	1,924.47	5.25
7.	कृषि विभाग	112	1,507.38	4.12
8.	समाज कल्याण विभाग	140	1,107.83	3.03

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का निर्धारित अवधि से परे बकाया, अनुदान के निर्धारित उद्देश्यों और निर्धारित समयावधि में उपयोग पर संशय को इंगित करता है।

(vi) **व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खाते में निधि का स्थानांतरण**

समेकित निधि से राशि को स्थानांतरित कर व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए राज्य सरकार प्राधिकृत होती है । इस खाते का उपयोग विशेष मामलों के लिए किया जाएगा जहाँ लोकहित में तेजी से व्यय करना आवश्यक हो जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव न हो, या लघु लाभार्थियों को बड़ी संख्या दूर-दूर तक बिखरी हुई हो जिन्हे कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष व्ययन व्यवहार्य न हो । जमा खाते के प्रशासकों द्वारा वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा किया जाना एवं पाँच लगातार वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई थी) के बाद अव्ययित राशि को संबंधित सेवा शीर्ष में व्यय में कमी के द्वारा समेकित निधि को वापस कर देना अपेक्षित है ।

75 कोषागारों जिनके द्वारा पी०डी० खातों के संबंध में सूचना दी गई है, में से 56 कोषागारों में ही पी०डी० लेखा का संधारण किया जाता है एवं शेष 19 कोषागारों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ कोई भी पी०डी० खाता नहीं है। 9 कोषागारों के 9 पी०डी० खातों में ₹ 65.77 करोड़ पाँच लगातार वित्तीय वर्षों के पश्चात अव्ययित है (अनुबंध-घ)। किसी भी कोषागार पदाधिकारी ने पाँच लगातार वित्तीय वर्षों से अव्ययित राशि के संबंधित सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कमी के रूप में संचित निधि में वापसी से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है ।

31 मार्च 2018 को बिहार में 174 पी०डी० खाते थे । बिहार सरकार के पत्र संख्या 11262 दिनांक 5.10.2010 के अनुसार, तीन लगातार वर्षों से अपरिचालित पी०डी० खातों को बन्द किया जाना है । सरकार के उपर्युक्त निर्णय के विपरीत, ₹ 27.73 करोड़ शेष के 94 पी०डी० खाते जो पिछले तीन वर्षों से अपरिचालित हैं को बन्द नहीं किया गया है (अनुबंध-ड) । किसी भी विभागीय अधिकारी के द्वारा महालेखाकार द्वारा संधारित किए गए लेखों के शेषों का सत्यापन अथवा मिलान नहीं किया गया जैसा कि बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 353 के तहत आवश्यक है ।

56 राज्य कोषागारों से प्राप्त 174 व्यक्तिगत जमा खाते की विवरणी निम्नवत है :

तालिका-3 : व्यक्तिगत जमा खाते का विवरण

(₹ करोड़ में)

आदि शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद		अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
177	4,464.82 [#]	0	2,762.21	03	1,338.58	174	5,888.45

* वर्ष के दौरान लेन-देन (जमा/नामे) स्तंभ 'वर्ष के दौरान वृद्धि' तथा 'वर्ष के दौरान बंद' के अंतर्गत दर्शाये गये हैं ।

[#] विवरण 21 से ₹ 6.05 करोड़ का अंतर समाधान के अधीन है ।

(vii) **प्राप्तियों तथा व्ययों का अपूर्ण मिलान**

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 के अनुसार, सभी नियंत्री अधिकारियों को अपने प्राप्तियों तथा व्ययों का मिलान महालेखाकार के साथ किया जाना अपेक्षित है । वर्ष 2017-18 के दौरान इस तरह के मिलान मात्र राशि ₹ 12,537.11

करोड़ [₹ 1,31,530.68 करोड़ के कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय का 9.53 प्रतिशत] तथा ₹ 1,03,618.71 करोड़ [₹ 1,17,446.74 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्तियाँ का 88.23 प्रतिशत] के ही किये गये हैं ।

(viii) रोकड़ शेष में अंतर

महालेखाकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2018 को परिकल्पित रोकड़ शेष के बीच ₹ 45.26 करोड़ (जमा) का अंतर था । इस प्रकार के अंतर मुख्यतः अभिकरण बैंकों द्वारा गलत सूचना देने एवं मिलान नहीं किए जाने के कारण प्रकट होते हैं । अंतर मिलान के अधीन है ।

(ix) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (राज्यांश) तथा राज्य स्कीमों का क्रियान्वयन

राज्य सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (राज्यांश) एवं राज्य स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तर के स्वायत्तशासी निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को निधि प्रदान करती है । चूँकि क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में प्रायः सम्पूर्ण निधि को खर्च नहीं किए जाते हैं, परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशियाँ इसके क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों के बैंक खाते में ही पड़े रह जाते हैं । क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों के बैंक खाते में पड़े हुए अव्ययित शेषों की सकल राशि जो सरकारी लेखे से अलग रखे गये है आसानी से ज्ञात करने योग्य नहीं है । अतएव, लेखे में दर्शाए गए सरकार के व्यय उस सीमा तक पूर्ण नहीं है ।

4. अन्य मदें

(i) सेवानिवृत्ति लाभों के अधीन देयताएँ

31 अगस्त 2005 को या इसके पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए “पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों” पर वर्ष के दौरान किया गया व्यय परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान पर हुए व्यय को छोड़कर ₹ 13,821.13 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 13.47 प्रतिशत) था । 1 सितम्बर 2005 को या इसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है । योजना के अधीन कर्मचारी अपने वेतन तथा महँगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंश प्रदान करता है जिसके समतुल्य राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है एवं समस्त राशि को राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को स्थानांतरित किया जाता है ।

कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान दोनों शीर्ष 8342-00-117-0001 के अन्तर्गत जमा किये जाते हैं जिसे एन.एस.डी.एल. को जमा किया जाना आवश्यक है । वर्ष के दौरान शीर्ष 8342-00-117-0001 के अन्तर्गत ₹ 934.94 करोड़ तथा शीर्ष 8011-00-106-0002 के अन्तर्गत ₹ 0.06 करोड़ जमा किया गया । राज्य सरकार ने ₹ 937.34 करोड़ एन.एस.डी.एल. ट्रस्टी बैंक में जमा किया जिसमें शीर्ष 8342-00-117-0001 तथा शीर्ष 8011-00-106-0002 दोनों के पूर्व वर्ष का ₹ 2.34 करोड़ भी शामिल है जो एनएसडीएल को स्थानांतरित नहीं किया गया था।

एन.एस.डी.एल./ ट्रस्टी बैंक को 31 मार्च 2018 तक जमा नहीं कि गई कुल राशि ₹ 128.28 करोड़ (शीर्ष 8011-00-106 के अन्तर्गत ₹ 41.32 करोड़ तथा शीर्ष 8342-00-117 के अन्तर्गत ₹ 86.96 करोड़) थी ।

(ii) पेंशन दायित्व एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रभाजन

बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुभाग 53 के आठवीं अनुसूची के अनुसार, 15 नवम्बर 2000 (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के विभाजन की तिथि) से 31 मार्च 2001 तक एवं प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में बाँटा जाएगा ।

सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में बिहार और झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिवों की दिनांक 18 जून 2018 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या के अनुपात अर्थात् 645.30:218.44 में बाँटा जाएगा । तदनुसार, निर्णय के अनुसार प्राप्य राशि की जनसंख्या अनुपात के अनुसार पुनर्गणना की गयी है तथा मार्च 2017 तक कुल प्राप्य राशि ₹ 4,509.02 करोड़ से घटकर ₹ 1,507.74 करोड़ रह गयी । बिहार सरकार को 03 सितम्बर 2018 को पुनर्गणित राशि की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है । पुष्टि अभी तक लंबित है । बिहार सरकार 31 मार्च 2017 तक कुल प्राप्य राशि ₹ 1,507.74 करोड़ में से ₹ 936.82 करोड़ पहले ही प्राप्त कर चुकी है । बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए झारखण्ड सरकार को पेंशन दायित्व दावा नहीं किया गया है क्योंकि व्यय के अंतिम आँकड़े दोनो राज्यों में अबतक अंतिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया में हैं । इसलिए शीर्ष “0071” के अंतर्गत आँकड़े इस हद तक न्यूनदर्शित हैं ।

(iii) राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 उन विधियों को उपस्थापित करता है जिनके तहत पूँजीगत अनुभाग (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋण एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) तथा भाग III लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों (रिजर्व बैंक में जमा के अलावे) को राज्यों के बटवारे की तिथि अर्थात् 15 नवम्बर 2000 के प्रभाव से बाँटा जाना था उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत बाँटें जाने वाली राशियों की विवरणी वित्त लेखे खण्ड II के परिशिष्ट-XIII में दी गई है । बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित बटवारे का प्रस्ताव, झारखण्ड सरकार को 20 मार्च 2018 को प्रेषित किया गया था। झारखण्ड सरकार से सहमति प्रतिक्षित है ।

(iv) ऋण तथा अग्रिम

महालेखाकार समर्पित लेखे के आधार पर ऋण तथा अग्रिम संबंधी आँकड़ों का समेकन करता है । ये आँकड़े संबंधित विभागों द्वारा संपुष्ट किया जाना अपेक्षित होता है ।

वित्त लेखे (खण्ड II) 2017-18 के विवरण 18 में तैयार किए गए सूचना, जैसा कि ऋण तथा अग्रिमों के लिए भारत सरकार लेखाकरण मानक (आई०जी०ए०एस०) 3 के अधीन अपेक्षित है, अन्तिम हैं, चूँकि इसे राज्य सरकार द्वारा संपुष्ट

नहीं किया गया है। ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में बकाए मूलधन एवं ब्याज संबंधी विस्तृत सूचनाएँ जिसके लेखे राज्य सरकार द्वारा संधारित किए जाते हैं, प्रतीक्षित है, क्योंकि 31 मार्च 2018 को अवशेषों की संपुष्टि राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है।

व्यक्तिगत कर्जग्राही के शेष कर्जों, जिसके विस्तृत लेखे का संधारण महालेखाकार द्वारा किया जाता है, की संपुष्टि भी राज्य सरकार से प्रतीक्षित है। इसे वित्त लेखे (खण्ड II) के परिशिष्ट-VII के तालिका-1 में इंगित किया गया है।

(v) राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(क) **अपूर्ण सूचना:** राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व को निरूपित करता है। वित्त लेखे (खण्ड II) के विवरण 20, वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी अदायगी आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों तथा वर्ष के अंत तक बकाए कुल गारंटी का ब्यौरा प्रदर्शित करता है। यह अपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है और इस प्रकार भारत सरकार के लेखा मानकीकरण (आई०जी०ए०एस०) 1 के अपेक्षित प्रकटीकरण को पूरा नहीं किया गया है। गारंटी के विवरण (विवरण 9) के अनुसार 31 मार्च 2018 को कुल बकाया गारंटी ₹ 5,271.70 करोड़ (मूलधन ₹ 5,174.49 करोड़ एवं ब्याज ₹ 97.21 करोड़) थी।

(ख) **गारंटी मोचन निधि का सृजन नहीं करना:** 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकारों से एक गारंटी परिहार निधि का गठन अपेक्षित है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा जारी किए गए गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों के भुगतान के निर्वहन हेतु किया जाए। निधि राज्य सरकार के लेखा से अलग परिचालित होगी तथा भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित होगी। दिशा निर्देशों के तहत, राज्य सरकार को वर्ष के प्रारंभ में बकाए गारंटी का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना आवश्यक होता है। प्राप्त निधि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है तथा यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष का एक भाग नहीं होता है।

राज्य सरकार ने गारंटी मोचन निधि का गठन नहीं किया है जैसा कि 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित है। राज्य सरकार को ₹ 24.33 करोड़ (1 अप्रैल 2017 को ₹ 4,865.07 करोड़ के बकाये गारंटी का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान करना आवश्यक था, परंतु निधि का गठन नहीं होने के कारण कोई अंशदान नहीं किया गया है।

(vi) निवेश

सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी संस्थानों तथा ग्रामीण बैंकों आदि में किए गए निवेश संबंधी सूचनाओं को वित्त लेखे (खण्ड II) के विवरण 19 में दर्शाया गया है। चूँकि इन आँकड़ों को राज्य के संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा मिलान नहीं किया गया है, इसलिए इसके लेखे में निहित सूचनाएँ अनंतिम है।

(vii) आरक्षित निधियाँ तथा जमा

(क) निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ : 2001-02 से ₹ 26.32 करोड़ मूल्य के आरक्षित निधि का परिचालन नहीं किया गया है। विवरणी अनुबंध-च में दर्शायी गई है।

(ख) ब्याज दायित्वों को विमुक्त नहीं करना : लोक लेखा के खण्ड ज और ट के अधीन क्रमशः ब्याज सहित आरक्षित निधि तथा ब्याज सहित जमा के सापेक्ष ब्याज दायित्व वार्षिक दायित्व हैं जिसे विमुक्त करना राज्य सरकार से अपेक्षित है। 1 अप्रैल 2017 को ऐसे आरक्षित निधि तथा जमा में अधोलिखित शेषों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 2049 के अधीन बजट प्रावधान नहीं किया गया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

तालिका-4 : आरक्षित निधि एवं जमा के अंतर्गत शेषों का विवरण

(₹ करोड़ में)

खण्ड	उप-खण्ड	ब्याज दर	2017-18 के प्रारंभ में शेष	देय ब्याज
ज-आरक्षित निधि	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधि (एस०डी०आर०एफ० सहित)	8.25 प्रतिशत (रेपो दर 6.25 प्रतिशत से दो प्रतिशत अधिक)	696.39	57.45
ट-जमा तथा अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा (सी०पी०एस० को छोड़कर) मुख्य शीर्ष 8342-120	6.25 प्रतिशत (डब्ल्यूएमए ब्याज दर अर्थात रेपो दर)	0.03	0.00
ट-जमा तथा अग्रिम	ब्याज सहित जमा (सी०पी०एस०)	8.00 प्रतिशत (सामान्य भविष्य निधि के शेष पर देय ब्याज दर)	88.58	7.09
जोड़				64.54

(ग) समेकित निक्षेप निधि : 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशांसा की गई कि राज्यों को सभी ऋणों के साथ-साथ बैंकों से लिए गए ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर देयताओं आदि के शोधन हेतु निक्षेप निधि की स्थापना करनी चाहिए, जिसका उपयोग ऋणों के परिहार के अलावे अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) जो निधि का प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी है, वर्ष के प्रारम्भ में बकाए दायित्वों के 0.5 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान का उपबंध करता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 में एक समेकित निक्षेप निधि को स्थापित किया जो फिर भी मात्र बाजार ऋण के शोधन के लिए है तथा सभी बकाए दायित्वों के लिए नहीं। यद्यपि निधि का उपयोग सरकार के बकाए दायित्वों के भुगतान हेतु वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ किया जाना था। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 693.61 करोड़ (1 अप्रैल 2017 को ₹ 1,38,721.50 करोड़ के बकाए दायित्वों का 0.5 प्रतिशत) का विनियोग किया।

(घ) राज्य आपदा मोचन निधि (एस०डी०आर०एफ०) : 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार, वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार ने “राज्य आपदा मोचन निधि” का परिचालन शुरू किया। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियाँ,

नीलाम किए गए खजाना बिल, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट में किया जाएगा, जब तक कि भारत सरकार द्वारा अन्यथा कोई निदेश जारी न की जाय। इसके दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधि में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 में एस०डी०आर०एफ० में ₹ 517.00 करोड़ (₹ 387.75 करोड़ केन्द्रांश तथा ₹ 129.25 करोड़ राज्यांश) जमा किया। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2017-18 में लेखा आधार पर अग्रिम रूप में ₹ 204.32 करोड़ भी जारी किया जिसे भी 2017-18 में एस०डी०आर०एफ० में जमा किया गया। 31 मार्च 2018 को निधि में ₹ 6,000.00 शेष रखते हुए शीर्ष 2245-05 के अन्तर्गत ₹ 1,417.71 करोड़ प्राकृतिक आपदा पर व्यय हुए।

(ड) केन्द्रीय सड़क निधि (सी०आर०एफ०)

केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया निर्देशित करता है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (राज्य सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत दर्ज) उसी समय लोक लेखा (मुख्य शीर्ष "8449 अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" के अधीन) में राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 3054 के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सहायता अनुदान प्रयोजन (पूँजी या राजस्व) पर विचार किए बिना राजस्व प्रभाग में अंकित किया जाए एवं यह इस स्तर पर राजस्व आधिक्य पर पड़ने वाले किसी प्रभाव को निष्प्रभावी करेगा। विहित सड़क कार्य पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय को प्रथमतः संबंधित राजस्व या पूँजी व्यय प्रभाग (यथास्थिति मुख्य शीर्ष 3054 या 5054 के अधीन) के अंतर्गत लेखांकित किया जायेगा तथा व्यय के संबंधित मुख्य शीर्ष (यथास्थिति पूँजी या राजस्व) से व्यय में कमी के रूप में निधि से प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि में ₹ 25.20 करोड़ प्राप्त किए जिसका निधि में सही लेखांकन किया गया। 31 मार्च 2018 को ₹ 84.26 करोड़ का शेष रखते हुए वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 8449 अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान में ₹ 25.20 करोड़ जमा किए गये तथा मुख्य शीर्ष 8449 अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान से ₹ 25.20 करोड़ नामे किए गये।

(viii) उचंत तथा प्रेषण शेष

वित्त लेखे उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अधीन निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षों के अधीन बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों में बकाया नामे तथा जमा शेषों को पृथक रूप से परिकलित कर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत में कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों (मुख्य शीर्ष 8658 तथा 8782 के अधीन) के सकल आँकड़ों की स्थिति **अनुबंध-छ** में इंगित किया गया है।

(ix) vkdfLedrk fuf/ || vfxe

संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार, राज्य की विधायिका विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि को स्थापित करने के लिए अधिकृत है। बिहार आकस्मिकता निधि का काय ₹ 350 करोड़ है। हालाँकि बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधीन, 1 अप्रैल 2017 से 30 मार्च 2018 तक की अवधि के

लिए राज्य सरकार ने काय को अस्थाई रूप से बढ़ाकर ₹ 350 करोड़ से ₹ 6,403.42 करोड़ कर दिया । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान संबंधित मुख्य शीर्ष को नामे कर की जाती है । बिहार सरकार इस प्रक्रिया से विचलित हुई तथा इन अग्रिमों से हुए व्यय को सीधे संबंधित सेवा मुख्य शीर्षों में लेखांकित किया । तदनुसार, चूँकि उस स्थिति में इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बजट उपलब्ध नहीं होता है, इन शीर्षों के विरुद्ध बजट से अधिकाई व्यय हो जाता है जिसे मात्र प्रतिपूर्ति के समय ही नियमित किया जाता है । इसके अलावे, चूँकि लेखांकन मुख्य शीर्ष 8000 के माध्यम से परिचालित नहीं किया जाता है, जैसा अपेक्षित है, महालेखाकार (लेखा एवं हक०) आकस्मिकता निधि के अग्रिमों तथा प्रतिपूर्ति को संबद्ध नहीं कर पाता है । राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से ₹ 4,949.21 करोड़ स्वीकृत किया तथा इसकी प्रतिपूर्ति अनुपूरक बजट द्वारा की ।

(x) व्यय का अत्यधिक प्रवाह

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा मार्च 2018 में वर्ष 2017-18 के दौरान उनके द्वारा किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया । विवरणी अनुबंध-ज में दी गई है ।

(xi) केन्द्रीय कर्जों के अपलेखन के सापेक्ष किए गए अधिक भुगतान का समायोजन

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार के निर्णयानुसार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के स्वीकृत्यादेश संख्या 13/2011-12 दिनांक 29 फरवरी 2012 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन राज्य सरकार को दिए गए केन्द्रीय ऋणों के 31 मार्च 2010 तक के बकाए को मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय के सिवाय) द्वारा अपलेखित कर दिया गया तथा मंत्रालयों के बही खातों में चालू बकाया शेष को परिसीमित कर दिया गया । इन अपलेखित ऋणों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2010 के बाद किए गए ऋण तथा ब्याज का पुनर्भुगतान, यदि कोई हो, का समायोजन राज्यों के विरुद्ध वर्तमान ऋणों के बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के विरुद्ध समायोजन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार से किया जाना था । राज्य सरकार ने ₹ 11.52 करोड़ (मूलधन ₹ 5.30 करोड़, ब्याज ₹ 6.22 करोड़) का अधिक पुनर्भुगतान किया था, जिसमें ₹ 3.47 करोड़ (मूलधन ₹ 1.25 करोड़, ब्याज ₹ 2.22 करोड़) का समायोजन वित्त मंत्रालय द्वारा जून 2013 में किया गया था । इसमें से शेष ₹ 8.05 करोड़ (मूलधन ₹ 4.05 करोड़, ब्याज ₹ 4.00 करोड़) का वित्त मंत्रालय द्वारा समायोजन में विलम्ब के कारण मूलधन ₹ 4.05 करोड़ का प्रतिकूल शेष (निवल नामे) तथा राज्य का लोक ऋण इस सीमा तक अतिदर्शित है ।

(xii) उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेंश योजना (उदय)

बिजली वितरण कम्पनियों के पुनर्उत्थान पैकेज के अनुसार, राज्य सरकार ने ₹ 2,331.78 करोड़ तक का डिस्कॉमस का ऋण रिजर्व बैंक के माध्यम से भाग ले रहे ऋणदाता बैंकों को वर्ष 2015-16 में ₹ 1,554.52 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 में ₹ 777.26 करोड़ के बंध पत्र जारी कर अधिग्रहित किया । वर्ष 2016-17 में यह राशि वितरण कम्पनियों को सब्सिडी

के रूप में हस्तान्तरित की गयी थी। राज्य सरकार ने उदय स्कीम अंतर्गत जारी किये गये बंध पत्र पर 2017-18 में ₹ 191.36 करोड़ ब्याज का भुगतान किया है।

(xiii) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (बीएफ०आर०बी०एम०) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण

राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 सह पठित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित लक्ष्य, 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा तथा 2017-18 के लेखे के अनुसार उपलब्धियाँ निम्नवत हैं :

तालिका-5: बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों का विवरण

क्रम सं०	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	2007-08 में राजस्व आधिक्य प्राप्त करना तथा तत्पश्चात् आधिक्य बनाए रखना	राज्य सरकार ने विगत सात वर्षों में राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व आधिक्य (उदय को छोड़कर) ₹ 15,014.37 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 3.08 प्रतिशत) रहा। हालांकि, यदि उदय अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है तो यह ₹ 14,823.01 करोड़ (जी०एस०डी०पी० का 3.04 प्रतिशत) होगा।
2	राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०)* के अनुपात को वर्ष 2011-12 में 3.00 प्रतिशत लाना तथा इसे 2017-18 तक बनाए रखना।	2017-18 के दौरान राजकोषीय घाटा (उदय को छोड़कर) (₹ 14,113.47 करोड़) जी०एस०डी०पी० का 2.89 प्रतिशत था। हालांकि, यदि उदय अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है तो यह (₹ 14,304.83 करोड़) जी०एस०डी०पी० का 2.93 प्रतिशत होगा।
3	वित्तीय वर्ष 2017-18 में ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) के प्रतिशत के रूप में 23.60 प्रतिशत तक लाना।	2017-18 के दौरान ऋण एवं बकाया दायित्व (₹ 1,54,444.99 करोड़) (उदय को छोड़कर), आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) का 31.67 प्रतिशत था। हालांकि, यदि उदय अंतर्गत ऋण को शामिल किया जाता है तो यह (₹ 1,56,776.77 करोड़) जी०एस०डी०पी० का 32.15 प्रतिशत होगा।
4	वित्तीय वर्ष 2017-18 में कर राजस्व संग्रहण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) प्रतिशत के रूप में 15.40 प्रतिशत तक बढ़ाना।	2017-18 के दौरान कर राजस्व संग्रहण (₹ 88,219.87 करोड़) आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) का 18.09 प्रतिशत था।

* स्रोत : योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार का पत्र सं० रा०आ०(रा.घ.उ.)-04/2016/894/पटना दिनांक 06-08-2018। वर्ष 2017-18 में बिहार के लिए जी०एस०डी०पी० का आँकड़ा ₹ 4,87,628 करोड़ एन०टी०ए० में एफ०आर०बी०एम० लक्ष्य पूर्ति-गणना के लिए लिया गया।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अधीन नियमों की रचना अभी तक नहीं की गई है।

(xiv) राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा पर अशुद्ध/अपर्याप्त लेखांकन का प्रभाव

राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा पर अशुद्ध/अपर्याप्त लेखांकन का पड़ा प्रभाव (विवरणी पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिया गया है) निम्नवत है:-

तालिका-6: राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

पैराग्राफ सं०	मद	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	
		अतिदर्शित	न्यूनदर्शित	अतिदर्शित	न्यूनदर्शित
4 (vii) (ख)	ब्याज सहित आरक्षित निधि तथा जमा पर ब्याज का जमा नहीं किया जाना	64.54			64.54
4 (v) (ख)	गारंटी परिहार निधि में अंशदान नहीं किया जाना	24.33			24.33
कुल (निवल)		अतिदर्शित 88.87		न्यूनदर्शित 88.87	

(xv) श्रम उपकर का लेखांकन

बिहार सरकार द्वारा श्रम उपकर के लेखांकन के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा श्रमिक सहयोग से निष्पादित परियोजनाओं पर प्राप्त श्रम उपकर को इन्द्राज करने के लिए सरकार द्वारा उप शीर्ष नहीं खोला गया है। सरकारी विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर को मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा-108-लोक निर्माण कार्य जमा में बिहार के संचित निधि में, जैसा की आवश्यक है, लिये बिना सीधे इन्द्राज कर लिया जाता है। पुनः, चूंकि लघु शीर्ष-लोक निर्माण कार्य जमा के नीचे, आगे कोई उप शीर्ष नहीं है, श्रम कल्याण बोर्ड को भुगतान की गई राशि को अलग कर पाना संभव नहीं है।

अनुबंध-क
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)
पुस्त समायोजन

(क) आवर्ती समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
		से	को		
1	राज्य आपदा रिस्पॉस निधि का समायोजन (एस०डी०आर०एफ०)	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	721.32	बिहार राज्य आपदा रिस्पॉस निधि को अंशदान
		2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	(-)1,417.71	मुख्य शीर्ष 2245 से प्रारंभ में किये गये व्यय को मुख्य शीर्ष 8121 - एस०डी०आर०एफ० से प्रतिपूर्ति कर दिया गया है ।
2	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन (राज्य)	2049-ब्याज अदायगियाँ	8009-राज्य भविष्य निधि	239.41	सामान्य भविष्य निधि पर जमा ब्याज की राशि का समायोजन
		2049-ब्याज अदायगियाँ	8009-राज्य भविष्य निधि	10.59	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर जमा ब्याज की राशि का समायोजन
3	समूह बीमा (राज्य) पर ब्याज का समायोजन	2049-ब्याज अदायगियाँ	8011-बीमा तथा पेंशन निधि	250.00	राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना पर जमा ब्याज की राशि का समायोजन
4	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	8222-निक्षेप निधि	693.61	निक्षेप निधि वार्षिक अंशदान
जोड़				497.22	

(स्रोत: भी०एल०सी० ऑकड़ा)

अनुबंध-क
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)
पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
1	निदेशन	2043- राज्य वस्तु और सेवा कर अंतर्गत संग्रहण प्रभार	8448-स्थानीय निधियों की जमा	14.00
2	परिवहन विभाग	2052- सचिवालय सामान्य सेवायें	8448-स्थानीय निधियों की जमा	30.00
3	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पुलिस भवनों का मरम्मत और रखरखाव	2055- पुलिस	8448-स्थानीय निधियों की जमा	300.00
4	राज्य विश्वविद्यालयों का विकास	2202- सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	782.08
5	राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	2202- सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	99.50
6	एल०एन० मिश्र आर्थिक विकास और समाजिक बदलाव संस्थान	2202- सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	14.88
7	बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम लि०	2205- कला और संस्कृति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	24.50
8	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	18,417.54
9	एम्बुलेंस सेवाओं का संचालन	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	20.00
10	मुख्य मंत्री पेयजल आपूर्ति योजना (निश्चय)	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	495.60
11	स्थानीय निकायों को शहर के लिए सिवरेज तथा नालियों के लिए सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	155.23
12	स्थानीय निकायों को पेयजल आपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	11.07
13	नगर परिषद् को पेयजल आपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	534.91

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
14	नगर पंचायतों को पेय जल आपूर्ति के लिए सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	225.14
15	स्थानीय शहरी निकायों को सिवरेज तथा नालियों के लिए सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	37.53
16	शहरी स्थानीय निकायों को परिवहन हेतु सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	230.00
17	बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	50.00
18	मुख्य मंत्री नगर विकास योजना	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	29.27
19	शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,340.88
20	पेशाकर के आलोक में अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	83.67
21	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,090.95
22	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2,155.86
23	नगर परिषद को प्रशासनिक और तकनीकी भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	15.00
24	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	380.68
25	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,265.06

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
26	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	137.76
27	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	26.04
28	शहरी स्थानीय निकायों को परिवहन हेतु सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	771.49
29	भूमि अधिग्रहण	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	905.87
30	भूमि संपत्ति नियंत्रण प्राधिकरण	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.74
31	योजनाओं का रखरखाव/मुल्यांकन/पर्यवेक्षण तथा राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना और अन्य समरूप कार्यक्रम	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	20.01
32	पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	43.05
33	शहर आधारित संरचना संबंधित समस्याएं	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	20.00
34	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	116.65
35	महादलित का विकास	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2,753.00
36	शिक्षा	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	99.23

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
37	बिहार कौशल विकास मिशन	2230- श्रम, नियोजन और कौशल विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,010.74
38	कौशल विकास मिशन	2230- श्रम, नियोजन और कौशल विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	368.16
39	मुख्य मंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,671.60
40	ट्रकों और टैंकरों द्वारा पेय जल की दुलाई (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हेतु)	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8448-स्थानीय निधियों की जमा	52.41
41	क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना (ग्रामीण कार्य विभाग हेतु)	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4,000.00
42	कृषि-व्यापार संरचना विकास परियोजना (ईएपी)	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	21.99
43	कृषि नवाचार प्रोत्साहन	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	214.84
44	गुणवत्तापूर्ण बीज फार्म का प्रसार-खेती पर व्यय	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	175.80
45	बागवानी विकास योजना	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	54.43
46	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रोद्योगिकी मिशन	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	739.39
47	राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	14.19
48	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	84.75
49	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	206.25
50	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए)	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	155.77

अनुबंध-क
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)
पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमशः....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
51	एकीकृत जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०)	2402- भूमि तथा जल संरक्षण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	320.17
52	भूमि संरक्षण कार्य	2402- भूमि तथा जल संरक्षण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	47.85
53	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतःराज्यीय संग्रहण और उचित दर दुकान डीलर मार्जिन	2408- खाद्य भंडारण और भांडागार	8448-स्थानीय निधियों की जमा	6,182.98
54	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	2505- ग्राम रोजगार	8448-स्थानीय निधियों की जमा	906.24
55	बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	50.00
56	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रखण्ड पंचायतों को अंशदान	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	598.38
57	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2,292.21
58	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	32.45
59	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	296.45
60	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	14.39
61	स्थापना	2700-मुख्य सिंचाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	15.11
62	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	2705-कमान क्षेत्र विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	892.52

अनुबंध-क
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)
पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
63	मुख्य मंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना	2801- बिजली	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5,000.00
64	हस्तशिल्प का विकास	2851- ग्रामीण और लघु उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	35.68
65	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान	2851- ग्रामीण और लघु उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	70.00
66	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	2851- ग्रामीण और लघु उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	46.72
67	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित ब्रॉडकास्टिंग योजना	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	11.15
68	व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रसार हेतु अन्य मूलभूत संरचना का निर्माण, विकास और रखरखाव- बिहार व्यापार विकास कोष	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	196.65
69	आर्थिक सहायता	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	31.45
70	उद्यमिता विकास योजना के लिए स्थापना	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	206.38
71	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	17.72
72	उद्यमिता विकास योजना की स्थापना	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	302.76
73	निश्चय के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	200.00
74	ई-शासन राज्य स्कीम	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	123.61
75	अन्य रखरखाव व्यय	3054- सड़क तथा सेतु	8448-स्थानीय निधियों की जमा	19.96
76	सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	3451- सचिवालय सामान्य सेवाएं	8448-स्थानीय निधियों की जमा	532.00

अनुबंध-क
(लेखे पर टिप्पणियों के पारा 1 (ii) का संदर्भ)
पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
77	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	3452- पर्यटन	8448-स्थानीय निधियों की जमा	12.32
78	लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्युटरीकरण	3456- सिविल पूर्ति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	170.87
79	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	3456- सिविल पूर्ति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4,899.79
80	वाणिज्य कर विभाग का भवन	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	19.24
81	पुलिस भवन का निर्माण एवं रखरखाव	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,213.06
82	पुलिस स्टेशन/चौकी के लिए भूमि अधिग्रहण	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	92.87
83	पुलिस स्टेशन/चौकी के लिए भूमि अधिग्रहण	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8443-सिविल जमा	335.41
84	पुलिस स्टेशन/चौकी के लिए भूमि अधिग्रहण	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8342-अन्य जमा	151.77
85	कृषि कार्यालय भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	613.57
86	भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2,382.44
87	भवन (सामान्य प्रशासन विभाग हेतु)	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	118.28
88	अनुसूचित जातियों के लिए भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	553.40
89	अनुसूचित जन जातियों के लिए भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	947.32
90	पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय और छात्रावास के भवनों का निर्माण और जीर्णोद्धार	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	307.10

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
91	सांस्कृतिक संरचना	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	450.23
92	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	400.00
93	सिविल कोर्ट, पटना में जी० + 7 न्यायालय भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	207.80
94	अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास का कार्यक्रम	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	91.02
95	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवन के लिए)	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	26.53
96	अनुसूचित जातियों के विकास की योजना	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	85.00
97	स्टेडियम तथा खेल अवसंरचना	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	396.60
98	बिहार फायर ब्रिगेड का भवन निर्माण	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	79.35
99	केन्द्रीय/मंडल/अनुमंडल कारा का भवन निर्माण (गृह कारा विभाग)	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	115.29
100	मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	6,425.70
101	होम गार्ड के भवन का निर्माण	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	99.04

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
102	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2,175.90
103	राजकीय उच्च विद्यालय के भवन	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2,918.92
104	जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और राजनीतिक अनुसंधान संस्थान, पटना	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	20.44
105	राजकीय महाविद्यालय की स्थापना	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	50.00
106	पोलिटिकल/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	33.54
107	राजकीय महिला महाविद्यालय	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	14.50
108	राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भवन (ईएपी)	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,672.42
109	आग्जयलरी नर्सिंग मिडवाइफरी (ए०एन०एम०)/जेनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जी०एन०एम०) विद्यालय	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,400.00
110	बी०एससी० नर्सिंग महाविद्यालय (निश्चय)	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	300.00
111	स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	114.95

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
112	शहरी क्षेत्रों में सरकारी औषधालय का निर्माण	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	123.85
113	नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	478.07
114	मानव संसाधनों में स्वास्थ्य और लोक शिक्षा	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,554.93
115	चिकित्सा महाविद्यालय	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,533.23
116	मुख्य मंत्री पेय जल आपूर्ति निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	9,492.20
117	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5,191.43
118	ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (ट्यूबवेल, कुआं और हैंडपम्प)	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	550.00
119	ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम (विश्व बैंक सम्पोषित)	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	499.80
120	शहरी क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का सुदृढीकरण	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	200.00
121	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	239.21

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
122	न्यायाधीश आवास (विधि विभाग)	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	150.00
123	आवासीय विद्यालय और छात्रावास के भवनों का निर्माण और जीर्णोद्धार	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	12.99
124	अल्पसंख्यक बालकों और बालिकाओं के छात्रावास का निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	32.30
125	समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों का निर्माण	4235- समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	679.96
126	कब्रिस्तान की कंक्रीट घेराबंदी (गृह विभाग हेतु)	4235- समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8443- सिविल जमा	20.00
127	कृषि कार्यालय के भवनों की स्थापना	4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	297.00
128	प्रखण्ड लघु निर्माण कार्य	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	70.16
129	ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	7,296.36
130	मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	24,138.67

अनुबंध-क
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)
पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमशः....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
131	मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4,000.00
132	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	22,427.43
133	ग्रामीण विकास परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित स्कीम)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4,543.10
134	बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लि०	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,001.05
135	बिहार राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लि० की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	679.56
136	बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3,000.00
137	उत्तर बिहार पावर डीस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3,936.48
138	बिहार राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लि० (बीएसपीजीसीएल) की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5,245.44
139	बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० (बीएसपीटीसीएल) की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2,100.00
140	उत्तर बिहार पावर डीस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० (एनबीपीडीसीएल) की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4,463.52

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्त समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमांत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
141	दक्षिण बिहार पावर डीस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० (एसबीपीडीसीएल) की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4,463.52
142	दक्षिण बिहार पावर डीस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3,936.48
143	बिहार राज्य वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	600.00
144	सेतु	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4,000.00
145	सेतु (नाबार्ड)	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5,000.00
146	केन्द्रीय सड़क निधि	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,110.00
147	मुख्य सड़क	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,500.00
148	सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित)	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,793.20
149	पर्यटक अवसंरचना का विकास	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	570.48
150	प्रसाद- राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक उन्नति अभियान	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	12.87
151	पर्यटन परिपथ-स्वदेश दर्शन स्कीम	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	66.30

(स्रोत: भी०एल०सी० आँकड़ा)

अनुबंध-ख

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (ii) का संदर्भ)

(क) 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत लेन-देन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियाँ की प्रतिशतता
1	0029	भू-राजस्व	778.65	550.71	70.73
2	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	1,577.24	776.94	49.26
3	0055	पुलिस	86.04	19.90	23.13
4	0059	लोक निर्माण	9.83	9.83	100.00
5	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	25.84	7.12	27.55
6	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	21.47	4.78	22.26
7	0210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	54.53	34.61	63.47
8	0215	जलापूर्ति तथा सफाई	16.63	14.09	84.73
9	0220	सूचना एवं प्रचार	0.40	0.29	72.50
10	0230	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	16.79	14.00	83.38
11	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.17	0.17	100.00
12	0250	अन्य सामाजिक सेवायें	0.05	0.05	100.00
13	0401	फसल कृषि कर्म	11.93	7.57	63.45
14	0404	डेरी विकास	0.01	0.01	100.00
15	0405	मछली पालन	12.02	1.30	10.82
16	0406	वनिकी तथा वन्य प्राणी	29.41	3.41	11.59
17	0506	भूमि सुधार	0.22	0.23	104.55 [#]
18	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	48.61	35.03	72.06
19	0702	लघु सिंचाई	5.21	2.15	41.27
20	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.06	0.06	100.00
21	0852	उद्योग	0.12	0.12	100.00
22	1053	नागर विमानन	4.12	3.82	92.72
23	1054	सड़क तथा सेतु	66.74	19.07	28.57
24	1452	पर्यटन	1.62	1.62	100.00
25	1456	सिविल पूर्ति	0.05	0.05	100.00

[#] लेखा में ₹ 0.01 करोड़ की वापसी सम्मिलित है। इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।

(स्रोत: भी०एल०सी० ऑकड़ा)

अनुबंध-ख

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (ii) का संदर्भ)

(ख) 800-‘अन्य व्यय’ के अंतर्गत लेन-देन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए व्यय की प्रतिशतता
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	7.76	4.40	56.70
2	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	253.35	70.18	27.70

(स्रोत: भी०एल०सी० ऑकड़ा)

अनुबंध-ग

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (iv) का संदर्भ)
31 मार्च 2018 को अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	असमायोजित अस्थायी अग्रिम तथा अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.60	2.14	7.74
2	सिंचाई	26.49	0.40	26.89
3	राष्ट्रीय उच्च पथ	0.78	0.16	0.94
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.42	0.38	8.80
5	पथ निर्माण	67.48	2.15	69.63
6	ग्रामीण कार्य	6.13	7.19	13.32
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एल०ए०ई०ओ०)	28.05	3.38	31.43
8	नलकूप एवं लघु सिंचाई	2.29	0.21	2.50
जोड़		145.24	16.01	161.25

(स्रोत : प्रमंडलों के मासिक लेखे)

अनुबंध-घ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (vi) का संदर्भ)
31 मार्च 2018 को पाँच लगातार वित्तीय वर्षों से
अधिक रखी अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	कोषागार का नाम	पीडी खाते का नाम	राशि
1	गया	डीएलएओ, गया	21.21
2	बेगुसराय	डीएलएओ, बेगुसराय	16.33
3	कैमूर	डीएलएओ, कैमूर	16.22
4	मुजफ्फरपुर	डीएलएओ, मुजफ्फरपुर	4.94
5	समस्तीपुर	डीएलएओ, समस्तीपुर	4.74
6	सासाराम	डीएलएओ, सासाराम	1.16
7	पटना	डीएम, पटना	0.66
8	जहानाबाद	डीएलएओ, जहानाबाद	0.30
9	पुर्णिया	डीएलएओ, पुर्णिया	0.21
जोड़			65.77

(स्रोत: कोषागारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

अनुबंध-ड

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (vi) का संदर्भ)

31 मार्च 2018 को अपरिचालित पी०डी० खातो की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	कोषागार का नाम	परिचालक/प्रशासक का नाम	राशि
1	अररिया	एसडीओ, अररिया	0.00
2	औरंगाबाद	एसडीओ, औरंगाबाद	0.00
3	औरंगाबाद	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद	0.00
4	बगहा	एसडीओ, बगहा	0.00
5	बांका	डीएम, बांका	25.30
6	बांका	एसडीओ, बांका	0.00
7	बांका	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बांका	0.00
8	बाढ़	एसडीओ, बाढ़	0.00
9	बारसोई	एसडीओ, बारसोई	0.00
10	बेगुसराय	एसडीओ, बेगुसराय	0.00
11	बेगुसराय	एसडीओ, मंझौल	0.00
12	बेगुसराय	एसडीओ, बलिया	0.00
13	बेगुसराय	एसडीओ, बखरी	0.00
14	बेगुसराय	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बेगुसराय	0.00
15	बेनीपुर	एसडीओ, बेनीपुर	0.00
16	बेतीया	डीएम, बेतीया	0.00
17	बेतीया	एसडीओ, बेतीया	0.00
18	बेतीया	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बेतीया	0.00
19	भागलपुर	एसडीओ, सदर, भागलपुर	0.00
20	भागलपुर	एसडीओ, कहलगँव	0.00
21	भोजपुर	डीएम, भोजपुर	0.20
22	भोजपुर	एसडीओ, आरा	0.00
23	वीरपुर	एसडीओ, वीरपुर	0.00
24	बक्सर	एसडीओ, बक्सर	0.00
25	बक्सर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बक्सर	0.00
26	दानापुर	एसडीओ, दानापुर	0.00
27	दानापुर	एसडीओ, पालीगंज	0.00
28	दरभंगा	एसडीओ, सदर, दरभंगा	0.00
29	दाउदनगर	एसडीओ, दाउदनगर	0.00
30	फारबिसगंज	एसडीओ, फारबिसगंज	0.00
31	जहानाबाद	एसडीओ, जहानाबाद	0.00
32	जहानाबाद	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद	0.00

अनुबंध-ड क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियों के पारा 3 (vi) का संदर्भ)

31 मार्च 2018 को अपरिचालित पी०डी० खातों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	कोषागार का नाम	परिचालक/प्रशासक का नाम	राशि
33	जमुई	डीएम, जमुई	0.00
34	जमुई	एसडीओ, जमुई	0.00
35	जमुई	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई	0.00
36	झंझारपुर	एसडीओ, झंझारपुर	0.00
37	झंझारपुर	एसडीओ, फुलपरास	0.00
38	कैमुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कैमुर	0.00
39	कटिहार	डीडीसी, कटिहार	1.50
40	कटिहार	एसडीओ, कटिहार	0.00
41	कटिहार	एसडीओ, मनीहारी	0.00
42	कटिहार	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कटिहार	0.00
43	खगड़िया	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया	0.00
44	किशनगंज	एसडीओ, किशनगंज	0.00
45	लखीसराय	डीएम, लखीसराय	0.00
46	लखीसराय	एसडीओ, लखीसराय	0.00
47	लखीसराय	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय	0.00
48	मधेपुरा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	0.00
49	मधुबनी	डीएम, मधुबनी	0.00
50	मधुबनी	एसडीओ, मधुबनी	0.00
51	मधुबनी	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी	0.00
52	मोतीहारी	डीएम, मोतीहारी	0.00
53	मुंगेर	डीएम, मुंगेर	0.00
54	मुंगेर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर	0.00
55	मुजफ्फरपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0.00
56	नालंदा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नालंदा	0.00
57	नरकटियागंज	एसडीओ, नरकटियागंज	0.00
58	नवादा	डीएम, नवादा	0.00
59	नवादा	एसडीओ, नवादा	0.00
60	नवादा	एसडीओ, रजौली	0.00
61	नवादा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नवादा	0.00
62	निर्मली	एसडीओ, निर्मली	0.00
63	पटना	डीएम, पटना	0.66
64	पटना	एसडीओ, पटना	0.00

अनुबंध-ड क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (vi) का संदर्भ)

31 मार्च 2018 को अपरिचालित पी०डी० खातो की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	कोषागार का नाम	परिचालक/प्रशासक का नाम	राशि
65	पटना सिटी	एसडीओ, पटना सिटी	0.00
66	रोहतास	डीएम, रोहतास, सासाराम	0.00
67	रोहतास	एसडीओ, विक्रमगंज	0.00
68	रोहतास	एसडीओ, सासाराम	0.00
69	रोहतास	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, रोहतास	0.00
70	सहरसा	डीएम, सहरसा	0.00
71	सहरसा	एसडीओ, सहरसा	0.00
72	सहरसा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सहरसा	0.00
73	सारण	एसडीओ, मढ़ौरा	0.00
74	सारण	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सारण	0.00
75	शेखपुरा	डीएम, शेखपुरा	0.00
76	शेखपुरा	एसडीओ, शेखपुरा	0.00
77	शेखपुरा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, शेखपुरा	0.00
78	शिवहर	एसडीओ, शिवहर	0.00
79	शिवहर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, शिवहर	0.00
80	शेरघाटी	एसडीओ, शेरघाटी	0.00
81	सीतामढ़ी	डीएम, सीतामढ़ी	0.00
82	सीतामढ़ी	एसडीओ, सीतामढ़ी	0.00
83	सीतामढ़ी	एसडीओ, बेलसंड	0.00
84	सीतामढ़ी	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0.00
85	सिवान	डीएम, सिवान	0.00
86	सिवान	एसडीओ, सिवान	0.00
87	सिवान	एसडीओ, महाराजगंज	0.00
88	सिवान	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान	0.00
89	सुपौल	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सुपौल	0.00
90	तेघरा	एसडीओ, तेघड़ा	0.00
91	वैशाली	डीएम, वैशाली	0.07
92	वैशाली	एसडीओ, महनार	0.00
93	वैशाली	एसडीओ, हाजीपुर	0.00
94	वैशाली	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, वैशाली	0.00
जोड़			27.73

(स्रोत: कोषागारो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

अनुबंध- च

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 4 (vii)(क) का संदर्भ)

निष्क्रिय आरक्षित निधियों की सूचना

(₹ लाख में)

क्रम सं०	मुख्य एवं लघु शीर्ष की नामावली		आरक्षित निधि की संख्या	31 मार्च 2017 तक का शेष		वर्ष का लेन-देन
1	8115	103- मूल्यहास आरक्षित निधि- सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	अज्ञात	जमा	0.14	*
2	8223	101- अकाल राहत निधि	अज्ञात	जमा	33.98	*
		102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	अज्ञात	नामे	9.61	*
3	8229	101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	अज्ञात	जमा	0.54	*
4	8235	101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/ उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	अज्ञात	जमा	314.41	2001-02
		102-जमींदारी उन्मूलन निधि	अज्ञात	जमा	206.55	*
		200- अन्य निधियाँ	अज्ञात	जमा	2,085.99	2001-02
		कुल जोड़		जमा	2,632.00	

* अविभाजित बिहार से प्राप्त आकड़ा। 15 नवम्बर 2000 से कोई लेन-देन नहीं है।

(स्रोत: भी०एल०सी० ऑकड़ा)

अनुबंध-छ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 4 (viii) का संदर्भ)

उचंत एवं प्रेषण शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
	(नामे)	(जमा)	(नामे)	(जमा)	(नामे)	(जमा)
8658 - 101- वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	270.29	0.00	296.05	0.00	335.27	0.00
निवल	(नामे) 270.29		(नामे) 296.05		(नामे) 335.27	
8658- 102- उचंत लेखा (सिविल)	3,980.75	290.43	4,673.39	297.35	4,059.01	309.73
निवल	(नामे) 3,690.32		(नामे) 4,376.04		(नामे) 3,749.28	
8658- 110- रिजर्व बैंक उचंत- केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1,242.12	894.60	1,265.00	894.60	1,276.72	894.62
निवल	(नामे) 347.52		(नामे) 370.40		(नामे) 382.10	
8782- 102- लोक निर्माण प्रेषण	1,09,773.31	1,09,574.26	1,18,943.96	1,18,827.32	16,469.13	15,520.08
निवल	(नामे) 199.05		(नामे) 116.64		(नामे) 949.05	
8782- 103- वन प्रेषण	2,214.48	2,035.28	2,535.84	2,318.34	2,779.39	2,535.37
निवल	(नामे) 179.20		(नामे) 217.50		(नामे) 244.02	

(स्रोत: भी०एल०सी० ऑकड़ा)

अनुबंध-ज

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 4 (x) का संदर्भ)

व्यय का अत्यधिक प्रवाह

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	जोड़	मार्च 2018 के दौरान	2017-18 के कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2018 में व्यय की प्रतिशतता
03	भवन निर्माण विभाग	130.61	297.11	348.63	1,826.11	2,602.46	1,490.67	57.28
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	31.07	16.17	12.56	209.45	269.25	173.98	64.62
05	राज्यपाल सचिवालय	3.02	0.00	0.00	11.12	14.14	11.12	78.64
07	निगरानी विभाग	8.02	0.00	0.00	24.56	32.58	24.56	75.38
09	सहकारिता विभाग	26.05	40.06	278.19	598.73	943.03	520.80	55.23
10	ऊर्जा विभाग	1,619.57	738.00	984.00	8,188.73	11,530.30	7,696.73	66.75
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	(-)9.60	9.28	15.54	1,209.84	1,225.06	1,153.30	94.14
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	12.29	17.30	13.35	1,169.55	1,212.49	1,160.02	95.67
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	4.99	3.60	3.57	120.08	132.24	113.90	86.13
25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0.53	82.27	14.57	103.55	200.92	101.97	50.75
28	उच्च न्यायालय बिहार	35.79	0.00	0.00	114.91	150.70	114.73	76.13
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	66.22	8.58	36.77	218.38	329.95	211.85	64.21
31	संसदीय कार्य विभाग	0.51	0.00	0.00	1.39	1.90	1.39	73.16
32	विधानमंडल	34.70	0.00	0.00	119.55	154.25	119.55	77.50
34	बिहार लोक सेवा आयोग	4.35	0.00	0.00	16.68	21.03	16.68	79.32
42	ग्रामीण विकास विभाग	404.62	70.76	50.84	4,688.90	5,215.12	4,637.15	88.92
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	18.13	37.11	29.61	931.39	1,016.24	891.15	87.69
46	पर्यटन विभाग	2.35	0.46	30.49	111.74	145.04	109.51	75.50

(स्रोत: भी०एल०सी० ऑकड़ा)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2018
www.cag.gov.in

www.ag.bih.nic.in